

**हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल धर्मशाला के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.4.2015 से 31.3.2016**

भाग-एक

1 (क) प्रस्तावना:-

निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) को आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण नियम-2004 की धारा 28(3) के अन्तर्गत विहित प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एच०एस०जी०-4(डी)1-1/92/2 दिनांक 13.09.2004 के अनुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अधिकृत किया गया है। तदनुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के धर्मशाला मण्डल के लेखाओं अवधि 1.4.2015 से 31.3.2016 का अंकेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिशाषी अभियन्ताओं द्वारा इस मण्डल के आहरण एवं वितरण अधिकारी के पद का कार्य निष्पादित किया गया।

क्रम संख्या	अधिशाषी अभियन्ता का नाम	अवधि
1	श्री अरुण शर्मा	01.04.15 से 31.12.15
2	श्री बलवंत सिंह	02.01.16 से 02.03.16
3	श्री अजय शर्मा	02.03.16 से 31.03.16

(ख) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल धर्मशाला के लेखाओं अवधि 1.4.2015 से 31.3.2016 तक के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण:-

क्र० सं०	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा संख्या	राशि (₹) लाखों में
1	दिनांक 31.03.16 को विविध अग्रिम की राशि समायोजन हेतु शेष	5 (क)	31.26
2	विभिन्न विभागों के निक्षेप कार्यों पर प्राप्त राशि से अधिक व्यय	6	907.00
3	रख-रखाव प्रभार के रूप में राशि वसूली हेतु शेष	7 (क)	309.48
4	विभिन्न आवासीय बस्तियों से जल प्रभार के रूप में राशि वसूली हेतु शेष	8 (क)	15.88
5	C/o Govt. Polytechnic College at Banikhet, Chamba के कार्य में संविदाकर को अनियमित भुगतान	9	19.88
6	स्टील के क्रय के एवज में आपूर्तिकर्ताओं को अधिक भुगतान	10	15.60

7	निर्माण कार्य “ C/o GHS at Tangroti, Nagrota Bagwan” में संविदाकार को अनुचित लाभ	15	0.75
8	निर्माण कार्य “ C/o ITI Building at Chamba” में अनियमित भुगतान	16	2.62
9	निर्माण कार्य “ C/o Millennium College. Sarol Chamba” में संविदाकार को अनुचित लाभ	17	6.60
10	निर्माण कार्य “ C/o New jail at Rajpura” में संविदाकार को अनुचित लाभ	20	0.73
11	निर्माण कार्य “ C/o Ayurvedic College Paprola (SH: Widening of approach road)” में संविदाकार को अनुचित लाभ	21	1.01
12	निर्माण कार्य “ C/o 3 Nos. Class Room, GSSS Deol” में संविदाकार को अनुचित लाभ	24	2.03

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के शेष अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न परिशिष्ट “क” में दर्शाई गई है। वर्ष 04/89 से 03/15 तक मण्डल से संबन्धित 204 पैरे शेष हैं जिनका वर्ष वार विवरण निम्नलिखित है:-

क्रम संख्या	वर्ष	शेष पैरों की संख्या	टिप्पणी
1	1989-90	1	आवास बोर्ड से संबन्धित पैरे
2	2003-04	1	
3	2004-05	1	
4	2005-06	8	
5	2006-07	20	
6	2007-08	6	
7	2008-09	6	
8	2009-10	20	
9	2010-11	6	
10	2011-12	25	
11	2012-13	31	
12	2013-14	21	
13	2014-15	12	
14	1996-97	11	एस०डी०ए० उप मण्डल धर्मशाला से संबन्धित पैरे
15	1997-98	24	
16	1998-99	3	
17	1999-01	8	
कुल पैरे		204	

अतः अधिशासी अभियंता, आवास एवं शहरी विकास मण्डल धर्मशाला उपरोक्त शेष पैरों में अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त इन पैरों का निस्तारण करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

भाग-दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण धर्मशाला मण्डल के लेखाओं अवधि 4/2015 से 3/2016 तक का अंकेक्षण कार्य श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी व श्री नरेन्द्र कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा श्री सतपाल सिंह, उप-निदेशक के पर्यावेक्षण में दिनांक 16.01.17 से 28.02.2017 तक धर्मशाला में किया गया। माह 03/2016के लेखाओं का चयन विस्तृत अंकेक्षण हेतु किया गया जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये हैं। अंकेक्षण में आगामी पैराग्राफ में दर्शाये गये अभिलेख के अतिरिक्त समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध करवाये गए ।

इसके अतिरिक्त यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण मण्डल के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं जांच हेतु प्रस्तुत किए गये अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। मण्डल अधिकारी द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत, अधूरी अथवा सूचना प्रदान न करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है। विभाग की जिम्मेवारी केवल विस्तृत जांच हेतु चयनित माह तक सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण धर्मशाला मण्डल के लेखाओं अवधि 4/2015 से 3/2016 के अंकेक्षण शुल्क को जमा करवाने के लिए सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हि0प्र0 आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्यालय निगम बिहार शिमला-2 को अलग से अनुरोध किया जाएगा ।

4 वित्तीय स्थिति :-

(क) दिनांक 31.03.16 तक हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण धर्मशाला मण्डल की वित्तीय स्थिति एवं बैंक समाधान विवरणिका का विवरण परिशिष्ट-“ख” में दिया गया है ।

(ख) बैंक समाधान विवरणी की जांच के दौरान पाया कि हिमुडा धर्मशाला द्वारा कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक धर्मशाला में निम्नलिखित चैक/ड्राफ्ट खाता संख्या 20075000516 में जमा करवाये गये थे लेकिन लम्बी अवधि व्यतीत होने के पश्चात भी यह राशि बैंक द्वारा मण्डल के खाते में जमा नहीं की गई थी। अतः पूर्व की अंकेक्षण प्रतिवेदनों में मामला संबन्धित बैंक के प्रबन्धन से समायोजन हेतु उठाया गया था, जिस पर कार्यवाही करते हुए यह राशि बैंक में जमा कर दी गई है एवं इसकी पुष्टि भी अंकेक्षण के दौरान कर ली गई थी। अतः भविष्य में इस प्रकार की

राशि को यथासमय में जमा करना सुनिश्चित किया जाए ताकि ब्याज के रूप में होने वाली हानि से बचा जा सके। जमा चैकों/ड्राफ्टों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्रमांक संख्या	चैक/ड्राफ्ट संख्या	खाते में की दिनांक	जमा	राशि
1	496897 दिनांक	23.05.12	12.07.2016	500.00
2	668170 दिनांक	07.01.09	08.04.2016	54054.00

5 (क) विविध अग्रिम ₹31.26 लाख समायोजन हेतु शेष:-

हिमुडा मण्डल धर्मशाला के खाते में दिनांक 31.03.16 को विविध अग्रिम की ₹3126399 समायोजन हेतु शेष थी। इस राशि का विस्तृत विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न परिशिष्ट "ग" में दर्शाया गया है। अतः मण्डल इस राशि के समायोजन हेतु उचित कदम उठाए ताकि मण्डल के खातों में अग्रिम की राशि को शून्य किया जा सके।

(ख) अन्य अग्रिम राशियाँ :-

दिनांक 31.03.16 को मण्डल के लेखों के अनुसार निम्न अन्य राशियाँ समायोजन हेतु शेष थी।

क्र०सं०	अग्रिम विवरण	राशि	परिशिष्ट
1	आवास निर्माण अग्रिम	230581	परिशिष्ट "घ"
2	गर्म वस्त्र अग्रिम	39600	परिशिष्ट "ङ"
3	स्टाफ अग्रिम	653694	परिशिष्ट "च"

उपरोक्त अग्रिम से सम्बंधित अभिलेखों की जांच करने पर पाया कि स्टाफ अग्रिम का समायोजन वित्त वर्ष के अन्त तक होना अपेक्षित होता है लेकिन परिशिष्ट "च" में वर्णित विवरणानुसार कर्मचारियों के खाते में दिनांक 31.03.16 तक ₹653694 अग्रिम राशि समायोजन हेतु शेष थी, जिनका शीघ्र नियमानुसार समायोजन करवाना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।

6 विभिन्न विभागों के निक्षेप कार्यों पर दिनांक 31.03.16 तक प्राप्त राशि से अधिक व्यय करने के कारण ₹907 लाख की वसूली शेष:-

हिमुडा मण्डल धर्मशाला द्वारा विभिन्न विभागों के डिपॉजिट कार्यों पर दिनांक 31.03.16 तक कुल प्राप्त राशि से अधिक राशि व्यय करने के कारण ₹907/- लाख वसूली हेतु शेष थी। इस राशि का पूर्ण विवरण परिशिष्ट "छ" में दिया गया है।

डिपॉजिट कार्यों पर कुल जमा/प्राप्त राशि से अधिक व्यय करना एक गम्भीर अनियमितता है क्योंकि हिमुडा स्वयं उच्च दरों पर ऋण प्राप्त करने के उपरान्त ही व्यय करता है। अतः यह अनियमितता हिमुडा प्रबन्ध मण्डल के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाई जाती है ताकि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता पर रोक लगाई जा सके तथा हिमुडा को डिपॉजिट कार्यों पर प्राप्त राशि से अधिक व्यय करने के कारण ब्याज के रूप में होने वाली हानि को पूर्णतया रोका जा सके। उपरोक्त वर्णित अधिक व्यय की राशि की वसूली संबन्धित विभाग से करना सुनिश्चित करें।

7 (क) रख-रखाव प्रभार के ₹309.48 लाख दिनांक 31.03.16 तक वसूली हेतु शेष:-

हिमुडा मण्डल धर्मशाला के अधीन विभिन्न आवासीय बस्तियों से संबन्धित अभिलेखों का अंकेक्षण करने पर पाया कि इन परिसरों से दिनांक 31.03.16 तक रख-रखाव प्रभार के रूप में ₹30947833 वसूली हेतु शेष थी। इस राशि का बस्ती वार विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र.सं०	कलौनी का नाम	उपमण्डल का नाम	दिनांक 31.03.16 को वसूली योग्य राशि
1	आवासीय कलौनी देहरा, जिला कांगड़ा	धर्मशाला -I	1026576
2	आवासीय कलौनी कांगड़ा	धर्मशाला -I	2390356
3	पी0एस0एफ0 सिद्धपुर	धर्मशाला -II	308278
4	पी0एस0एफ0 खनियारा	धर्मशाला -II	177155
5	आवासीय परिसर होल्टा	पालमपुर	8150655
6	पी0एस0एफ0 विन्द्रावन	पालमपुर	467499
7	आवासीय कलौनी लोहना	पालमपुर	249849
8	आवासीय कलौनी रक्कड़ ऊना	ऊना	17351464
9	आवासीय कलौनी बंगाणा ऊना	ऊना	556085
10	पी0एस0एफ0 इंदौरा	धर्मशाला	66882
11	बी०बी०के० इंदौरा	धर्मशाला	75899
12	आवासीय कलौनी हरिपुर	चम्बा	127135
कुल राशि			30947833

उपरोक्त विवरण के अवलोकन से स्वतः ही स्पष्ट है कि मण्डल द्वारा विभिन्न आवासीय परिसरों से रखरखाव प्रभार की वसूली ठीक ढंग से नहीं की जा रही है और न ही इतनी अधिक राशि की वसूली हेतु उचित एवं कारगर कदम उठाये जा रहे हैं। परिणामस्वरूप वर्ष 2015-16 में यह राशि 2014-15 की तुलना में ₹25718765 से बढ़कर ₹30947833 पहुँच गई है। अगर उपरोक्त राशि की वसूली हेतु कोई उचित कदम न उठाये गये तो इस राशि की वसूली करना मुश्किल हो

जाएगा। अतः यह मामला हिमुडा प्रबन्धन के विशेष ध्यान में आगामी उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

- (ख) आवासीय बस्ती कांगड़ा के रख-रखाव की शेष राशि पर ब्याज न लगाने के परिणामस्वरूप ₹8.98 लाख की कम मांग करना :-

जांच में पाया कि आवासीय बस्ती कांगड़ा का संचालन वर्ष 2012 से नगर परिषद कांगड़ा के अधीन कर दिया गया था एवं पिछली अवधि के बकाया रख-रखाव प्रभार की ₹2390356 की सूची इस आशय से दी गई थी कि इस राशि की वसूली नगर परिषद द्वारा करके हिमुडा के खाते में जमा/ करवाई जाए। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.03.16 तक इस राशि की वसूली हेतु कोई भी प्रयास नहीं किए गए एवं न ही नियमों के अनुसार शेष राशि पर ब्याज लगाया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹897510 की ब्याज के रूप में कम मांग की गई थी, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 298 दिनांक 06.02.17 एवं 307 दिनांक 28.02.17 द्वारा अनुरोध किया गया लेकिन अंकेक्षण के दौरान कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। अतः हिमुडा प्रशासन को यह परामर्श दिया जाता है कि नगर परिषद कांगड़ा से पत्राचार करके रख-रखाव की बकाया राशि एवं इस पर नियमानुसार ब्याज लगाकर वसूली करना सुनिश्चित किया जाये। उक्त बस्ती के बकाया रख-रखाव प्रभार पर ब्याज के रूप में कम मांग का विवरण निम्नलिखित है :-

क्र. सं.	करदाता का नाम	हाउस संख्या	अवधि	अपेक्षित मांग	मांगी गई राशि	कम मांग
1	XEN,HPPWD, B&R Dehra	3,7,8,9,10,11,12,13	01.04.13 से 31.03.16	1461039	986160	474879
2	XEN,HPPWD, Kangra	6,14 to 39,42,45 to 48	01.04.14 से 31.03.16	1671488	1286156	385332
3	श्री ओ.पी.शर्मा	HIG-20	-do-	2537	1952	585
4	श्री एस. के. चौधरी	HIG-28	-do-	8966	6899	2067
5	श्री त्रिलोक राज शर्मा	HIG-41	-do-	8727	6715	2012
6	कार्यकारी अधिकारी, कांगड़ा	HIG-44	-do-	3922	3018	904
7	श्री रामानन्द शास्त्री	HIG-45	-do-	27575	21218	6357
8	श्री राजीव कुमार	HIG-46	01.10.12 से 31.03.16	1300	820	480
9	श्री अमरजीत सिंह	HIG-55	01.04.14 से 31.03.16	3310	2547	763

10	श्री हरि कृष्ण शर्मा	HIG-II-H-57	-do-	2441	1878	563
11	श्रीमती सरिता थापर	HIG-II-H-65	-do-	71523	55035	16488
12	श्रीमती मोतिया रानी	HIG-II-H-73	-do-	759	584	175
13	श्री दलीप कुमार	HIG-II-F-10B	-do-	6916	5322	1594
14	श्री सुनील वसुदेवा	HIG-II-F-12	01.04.13 से 31.03.16	10039	6776	3263
15	श्री राज कुमार	HIG-II-F-38	01.04.14 से 31.03.16	1396	1074	322
16	श्री कमल कान्त	HIG-II-F-41	-do-	1782	1371	411
17	श्री एम० एल० शर्मा	HIG-26	-do-	1219	938	281
18	श्री सुरेश चन्द्र	HIG-30	01.10.12 से 31.03.16	1145	722	423
19	श्रीमति वीर प्यारी शर्मा	HIG-49	01.04.13 से 31.03.16	1070	722	348
20	श्रीमति विजय लक्ष्मी	HIG-66	01.10.12 से 31.03.16	712	449	263
	कुल कम मांग			3287866	2390356	897510

(ग) आवासीय बस्ती हरिपुर (चम्बा) के रख-रखाव प्रभारों के रूप में ₹0.32 लाख की कम मांग करना:-

जांच में पाया कि उप मण्डल चम्बा की आवासीय बस्ती हरिपुर के रख-रखाव के प्रभारों के रूप में विभिन्न उपभोक्ताओं से अवधि 30.09.15 तक की मांग ₹10/- प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष की दर से की गई थी जबकि हिमुडा की 37th बैठक के एजेंडा मद संख्या 37(19) के अन्तर्गत रख-रखाव प्रभारों की दरों को अवधि 16.06.15 से ₹25/- प्रति वर्ग मीटर जमा सेवा कर प्रति वर्ष निर्धारित की गई थी। इस प्रकार दिनांक 16.06.15 से 30.09.15 तक ₹15/- (25-10) प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष रख-रखाव प्रभारों की कम मांग की गई थी। अतः इस प्रकार अवधि 16.06.15 से 30.09.15 तक ₹31827 की कम मांग की गई थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र. सं.	करदाता का नाम	हाउस संख्या	अवधि	अपेक्षित मांग	मांगी गई राशि	कम मांग
			16.06.15 से 30.09.15 /बिल संख्या	(₹25/- प्रति वर्ग मीटर सेवा कर @ 14%)		

1	श्री जय राज सोडी	3,सी-II	801	1596	560	1036
2	श्री सुरिन्द्र कुमार	6,सी-II	809	1596	560	1036
3	श्री आशीष कुमार	7,सी-II	807	1596	560	1036
4	श्री राजीव कुमार	40,सी-II	811	2294	805	1489
5	श्री विनोद कुमार	54,सी-II	813	1895	665	1230
6	श्री विनय जैन	55 सी-II	814	2045	718	1327
7	श्री सुमित कुमार	14 सी-I	815	2394	840	1554
8	श्री दविंदर पाल	16 सी-I	816	2394	840	1554
9	श्रीमति	17-सी-I	817	2461	863	1598
	अल्कान्दा हांडा					
10	श्री मोहिन्द्रकपूर	18 सी-I	818	2594	910	1684
11	श्री दयाल प्रताप	20सी-I	819	2760	968	1792
12	श्री परमिंदर जरियाल	21 सी-I	820	2394	840	1554
13	श्री रोहित पुरी	22 सी-I	821	2394	840	1554
14	श्री प्रकाश महाजन	23 सी-I	822	2394	840	1554
15	श्री संजीव बग्गा	25 सी-I	823	2394	840	1554
16	मैसेर्ज़ रंगा राजू वासिंग	29 सी-I	802	2394	840	1554
	हाउस					
17	श्री सीमन्त कुमार	31 सी-I	825	2394	840	1554
18	श्री होशियार कुमार	32 सी-I	805	2394	840	1554
19	श्री साई कृष्णा	33 सी-I	826	2394	840	1554
20	श्री पवन नय्यर	34 सी-I	827	2394	840	1554
21	श्री हेमंत जसवाल	37 सी-I	828	2394	840	1554
22	श्री सत्या कटोच	51,सी-I	812	1097	385	712
23	श्री रोहित पुरी	22,सी-I	821	7440	7200	240

कुल कम मांग 31827

अतः उक्त विवरणानुसार उपभोक्ताओं को संशोधित बिल जारी करके खातावहियों में प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें एवं भविष्य इस प्रकार की गलती को न दोहराया जाए।

(घ) उप मण्डल ऊना द्वारा रख-रखाव प्रभारों के रूप में देय राशियों की मांग हेतु बिल जारी न करना:-

जांच में पाया कि उप मण्डल ऊना की आवासीय बस्ती रक्कड़ के अवधि 01.06.15 से 30.09.15 तक रख-रखाव प्रभारों के देय राशियों की प्रविष्टियाँ रख-रखाव रजिस्टर में कर दी गई थी लेकिन इस अवधि की देय राशियों से संबन्धित मांग हेतु बिल जारी नहीं किए गए थे, जो कि एक अत्यन्त गंभीर

अनियमितता है अतः यथासमय उपभोक्ताओं को बिल जारी न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुये शीघ्र अतिशीघ्र बिल जारी करके वसूलियाँ करना सुनिश्चित करें।

(ड) उप मण्डल चम्बा द्वारा रख-रखाव प्रभारों के रूप में ₹771 की कम वसूली करना:-

रख-रखाव प्रभारों की वसूली से संबन्धित नियमों के अनुसार यदि बिल जारी करने के 30 दिनों के भीतर उपभोक्ता द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो इसके पश्चात देय राशि पर 14% की दर से ब्याज/अधिभार वसूल किया जाना भी अपेक्षित है। जांच में पाया कि उप मण्डल चम्बा आवासीय कलौनी हरिपुर के हाउस संख्या 54-C-II, श्री विनोद कुमार को बिल संख्या 813 दिनांक 28.07.15 में देय तिथि में ₹5510 एवं देय तिथि उपरान्त ₹6281 (5510 +770) की मांग की गई थी। जांच में पाया कि उपभोक्ता द्वारा देय तिथि के उपरान्त रसीद संख्या 121612 दिनांक 18.09.15 से ₹5510/- जमा करवाए थे जबकि नियमानुसार दिनांक 28.08.15 के पश्चात ₹ 6281/- वसूलने अपेक्षित थे । इस प्रकार उपभोक्ता से रख-रखाव प्रभार के रूप में ₹771 (6281-5510) कम वसूल किए गए थे जिसकी वसूली करना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में इस प्रकार की गलतियों को न दोहराया जाये ।

(च) रख-रखाव प्रभार की बकाया राशियों पर निर्धारित ब्याज की दर से कम दरों पर मांग व वसूली करने के संदर्भ में

रख-रखाव प्रभारों की वसूली से संबन्धित नियमों के अनुसार यदि बिल जारी करने के 30 दिनों के भीतर उपभोक्ता द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो इसके पश्चात देय राशि पर 14% की दर से ब्याज/अधिभार वसूल किया जाना भी अपेक्षित है। जांच में पाया कि उप मण्डल पालमपुर की आवासीय बस्ती होल्टा, लोहना व विंदरावन तथा उप-मण्डल ऊना की आवासीय बस्ती रक्कड़ व बंगाणा के रख-रखाव प्रभारों की देय राशि का भुगतान बिल जारी करने के 30 दिनों के उपरांत व छह महीनों के भीतर उपभोक्ता द्वारा भुगतान करने पर 10% की दर से ब्याज/अधिभार (छह माह के लिए 5%) लगाया गया था। इस प्रकार देय तिथि के उपरांत रख-रखाव प्रभारों का भुगतान करने पर 14% ब्याज/अधिभार चार्ज करने की बजाय 10% ब्याज/अधिभार वसूल किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप हिमुडा को 4% ब्याज/अधिभार के रूप में होने वाली वित्तीय हानि से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः नियमों की अवहेलना करके रख-रखाव प्रभारों के रूप में देय राशियों को वसूल करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा जिम्मेवारी निर्धारित करके मांग व वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए एवं भविष्य में इस प्रकार की गलतियों को न दोहराया जाये।

8 **(क) विभिन्न आवासीय बस्तियों से जल प्रभार के रूप में ₹15.88 लाख दिनांक 31.03.16 तक वसूली हेतु शेष:-**

हिमुडा मण्डल धर्मशाला के अधीन विभिन्न आवासीय परिसरों के जल प्रभार के अभिलेखों का अंकेक्षण करने पर पाया कि इन परिसरों से जल उपभोक्ताओं से

दिनांक 31.03.16 तक ₹1588445 वसूली हेतु शेष थी। इस राशि का परिसर वार विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र.सं०	कलौनी का नाम	उपमण्डल का नाम	दिनांक 31.03.16 को वसूली योग्य राशि
1	पी०एस०एफ० सिद्धपुर	धर्मशाला -II	836906
2	आवासीय बस्ती कांगड़ा	धर्मशाला -I	554333
3	आवासीय बस्ती लोहना	पालमपुर	19780
4	पी०एस०एफ० विन्द्रावन	पालमपुर	56361
5	पी०एस०एफ० खनियारा	धर्मशाला -II	31381
6	आवासीय बस्ती रक्कड़ ऊना	ऊना	78897
7	आवासीय बस्ती बंगाणा ऊना	ऊना	10787
		कुल राशि	1588445

अतः शेष जल प्रभार की ₹1588445 की वसूली के लिए मण्डल समुचित कार्यवाही अमल में लाना सुनिश्चित करें।

(ख) जल प्रभार के रूप में शेष राशि पर ब्याज न लगाने के परिणामस्वरूप ₹2.22 लाख की कम मांग करना:-

जांच में पाया कि आवासीय बस्ती सिद्धपुर मोहली (धर्मशाला), कांगड़ा व खनियारा के जल प्रभार के रूप में दिनांक 31.03.16 को शेष राशि पर ब्याज न लगाने के परिणामस्वरूप ₹221937 की कम मांग की गई थी। जबकि नियमानुसार देय राशियों का भुगतान बिल जारी करने से 30 दिन के भीतर किया जाना अपेक्षित है अन्यथा देरी से भुगतान करने पर 14% की दर से शेष देय राशि पर प्रति वर्ष ब्याज लगाया जाना अपेक्षित है। अतः संशोधित बिल जारी करके खाता वहियों में प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में प्रत्येक करदाता के कर की सही गणना करना भी सुनिश्चित करें। ब्याज के रूप में कम मांग का विस्तारपूर्वक विवरण निम्नलिखित है :-

(i) आवासीय बस्ती-सिद्धपुर/मोहली:-

क्र.सं.	करदाता का नाम	हाउस संख्या	अवधि	अपेक्षित मांग	मांगी गई राशि	ब्याज की कम मांग
1	डॉ. वी.पी. लखनपाल	B-3,S-3	01.04.11 से 31.03.16	23673	12295	11378
2	डॉ. अनीता पदम	B-3,S-I	01.04.11 से 31.03.16	18559	9639	8920

3	श्रीमति शशि प्रभा	B-3,S-I	01.04.11 से 31.03.16	7760	6807	953
4	डॉ रमेश भारती	B-3,S-2	01.10.15 से 31.03.16	19961	10367	9594
5	श्रीमति प्रियंका	B-3,S-2	01.06.14 से 31.03.16	5305	4082	1223
6	डॉ आर.के. आजाद	B-3,S-6	01.04.11 से 31.03.16	15503	8052	7451
7	श्रीमति सोनिका वर्धान	B-3,S-6	01.04.15 से 31.03.16	13460	11807	1653
8	डॉ आर के. कौशल	B-3,S-7	01.04.11 से 31.03.16	18965	9850	9115
9	श्रीमति पूनम चौहान	B-3,S-7	01.4.15 से 31.03.16	14445	12671	1774
10	डॉ राजीव तुलसी	B-9,S-2	01.04.11 से 31.03.16	34881	18116	16765
11	डॉ प्रवीण भरद्वाज	B-9,S-3	01.04.11 से 31.03.16	34061	17690	16371
12	डॉ अभिनाश शर्मा	B-9,S-3	01.04.14 से 31.03.16	6402	4926	1476
13	डॉ सीता ठाकुर	B-9,S-4	01.04.12 से 31.03.16	25586	15149	10437
14	डॉ सुदर्शन कुमार	B-9,S-5	01.04.11 से 31.03.16	34881	18116	16765
15	डॉ गोल्डी	B-9,S-5	01.06.14 से 31.03.16	19657	17243	2414
16	डॉ संजीव चौधरी	B-9,S-6	01.04.11 से 31.03.16	34881	18116	16765
17	डॉ नितिन गुप्ता	B-9,S-6	01.04.15 से 31.03.16	20080	17614	2466
18	डॉ माल्या सरकार	B-9,S-8	01.04.15 से 31.03.16	34407	30182	4225
19	डॉ ज्ञान चंद	B-9,S-8	01.04.15	28320	24842	3478

20	डॉ मधु कैसथा	B-10,S-1	से 31.03.16 01.04.11	34060	17690	16370
21	डॉ गुरप्रीत	B-10,S-2	से 31.03.16 01.04.06	734	198	536
22	डॉ के एस भाटिया	B-10,S-2	से 31.03.16 01.04.15	34115	29925	4190
23	डॉ अनिल चौहान	B-10,S-3	से 31.03.16 01.04.11	34060	17690	16370
24	डॉ वी के शर्मा	B-10,S-4	से 31.03.16 01.04.13	35890	24225	11665
25	डॉ एस०एस० कौशल	B-10,S-5	से 31.03.16 01.04.15	30735	26961	3774
26	डॉ राज कुमार	B-10,S-7	से 31.03.16 01.04.15	40047	35129	4918
			से 31.03.16		कुल राशि	201046

(ii) आवासीय बस्ती-कांगड़ा :-

क्र.सं	करदाता का नाम	हाउस संख्या	अवधि	अपेक्षित मांग	मांगी गई राशि	ब्याज की कम मांग
1	श्री गोपाल चंद	HIG-17	01.04.14 से 31.03.16	7759	5970	1789
2	श्री संजीव कुमार	HIG -29	01.04.15 से 31.03.16	467	410	57
3	श्रीमति श्रेष्ठ ठाकुर	F-21	01.04.12 से 31.03.16	2150	1273	877
4	श्री जिंदों राम	F-26	01.04.12 से 31.03.16	446	264	182
5	श्री बलविंदर कुमार	F-31	01.04.12 से 31.03.16	3125	1850	1275

6	श्री राज कुमार	F-34	01.04.10 से 31.03.16	2926	1333	1593
7	श्रीमति कुसुम लता	F-36	01.04.10 से 31.03.16	3216	1465	1751
8	श्री मदन ठाकुर	F-36	01.10.14 से 31.03.16	8314	6816	1498
9	श्रीमति रशमी शर्मा	F-47	01.10.14 से 31.03.16	1023	839	184
10	श्रीमति मंजु रैना	F-9	01.04.15 से 31.03.16	3814	3346	468
कुल राशि				33240	23566	9674

(iii) आवासीय बस्ती खन्यारा: -

क्र. सं.	करदाता का नाम	हाउस संख्या	अवधि	अपेक्षित मांग	मांगी गई राशि	ब्याज की कम मांग
1	श्री संजय कुमार	P-11,T-1	01.06.14 से 31.03.16	4578	3596	982
2	श्रीमति उमा शर्मा	P-19,T-1	01.02.14 से 31.03.16	22214	16703	5511
3	श्री राजेश शर्मा	P-21,T-1	01.06.14 से 31.03.16	7691	6042	1649
4	श्री कुलवंत सिंह	P-28,T-1	01.01.12 से 31.03.16	5905	3378	2527
5	श्री युवराज सिंह	P-34,T-1	01.02.14 से 31.03.16	2210	1662	548
कुल राशि				42598	31381	11217

(ग) ₹3306 की जल प्रभार के रूप में कम मांग करना :-

जांच में पाया कि निम्नलिखित करदाताओं से जल प्रभार के रूप में ₹3306 की कम मांग की गई थी जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें एवं संबन्धित करदाता की खाता वही में इनकी सही राशि लिखकर संशोधित बिल जारी करना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में प्रत्येक करदाता के सही कर की गणना करना सुनिश्चित करें। कम मांग का विवरण निम्नलिखित है:-

(i) रक्कड़ बस्ती, उप-मण्डल ऊना

क्र० सं०	करदाता का नाम	घर संख्या	बिल/अवधि	अपेक्षित मांग	मांग की गई राशि	कम मांग
1	श्री जय देव बाली	HIG-46	5603/	1530	1440	90

2	श्री पुष्पिन्द्र कुमार	HIG-52	20.01.16 6919/ 22.01.16	3186	1800	1386
कुल राशि				4716	3240	1476

(ii) जांच में पाया कि आवासीय बस्ती रक्कड़ व बंगाणा में उपभोक्ताओं द्वारा पानी का उपभोग किया गया था लेकिन इन्हे बिल जारी नहीं किए गए थे जिसके फलस्वरूप ₹1830 की जल प्रभार के रूप में कम मांग की गई थी, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा बिल जारी करके वसूली करना सुनिश्चित करें। कम वसूली का विवरण निम्नलिखित है :-

क्र० सं०	करदाता का नाम	घर संख्या	बस्ती का नाम	मीटर रीडिंग	अपेक्षित मांग	मांग की गई राशि	कम मांग
1	श्री नन्द लाल	DRH -6	रक्कड़	20000 कि. लीटर	180 (₹ 9/- प्रति 1000 कि. लीटर)	0	180
2	श्री नरेन्द्र कुमार	DRH -60	रक्कड़	30000 कि. लीटर	270 (₹ 9/- प्रति 1000 कि. लीटर)	0	270
3	श्रीमति शारदा ठाकुर	D-69	रक्कड़	01.04.14 से 31.03.16	1200 (₹ 50/- प्रति माह)	0	1200
4	श्रीमति सुषमा देवी	D-47	बंगाणा	20000 कि. लीटर	180 (₹ 9/- प्रति 1000 कि. लीटर)	0	180
कुल राशि						1830	

(घ) पी0एस0एफ0 खनियारा में जल प्रभार की मांग न करना:-

जांच में पाया कि पी0एस0एफ0 खनियारा के करदाताओं से वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में जल प्रभार की मांग नहीं की गई थी जिस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 296 दिनांक 04.02.17 एवं 307 दिनांक 28.02.17 द्वारा मांग जारी न करने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, लेकिन अंकेक्षण अवधि के दौरान इसका कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। अतः नियमानुसार जल प्रभार की मांग जारी करके वसूली करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।

(इ) ₹16752 की जल प्रभार की बकाया राशि को आगामी वर्ष में अग्रेनित न करना:-

जांच में पाया कि उप मण्डल ऊना एवं धर्मशाला की विभिन्न आवासीय कलौनियों की वर्ष 2014-15 में जल प्रभार के रूप में बकाया ₹16752 को आगामी वर्ष 2015-16 के लिए अग्रेनित नहीं किया गया था, जिसके फलस्वरूप वर्ष 2015-16 में ₹16752 की कम मांग के फलस्वरूप हानि हुई थी, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए इस कम राशि की मांग करना सुनिश्चित करें। कम अग्रेनित राशि का विस्तार पूर्वक विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र० सं०	कलौनी का नाम	करदाता का नाम	घर संख्या	पृष्ठ संख्या	कम अग्रेनित राशि
1	रक्कड़, ऊना	श्री राकेश कुमार	D-43/387	43	1346
2	बंगाणा, ऊना	श्री संसार चंद	D-7/58	07	198
3	बंगाणा, ऊना	कुमारी मंगली देवी	D-13/55	13	2154
4	बंगाणा, ऊना	श्री विरेन्द्र कुमार	D-16/55	16	99
5	बंगाणा, ऊना	श्री लेख राज	D-38/16	38	3564
6	बंगाणा, ऊना	श्री मनीष कुमार	D-45/30	46	462
7	कांगड़ा	श्री एम. आर. परमार	HIG-8	102	410
8	कांगड़ा	श्री आर. उत्तम चन्द	HIG-9	103	839
9	कांगड़ा	श्री सुशील चन्द	HIG-32	133	2735
10	कांगड़ा	श्री सुरेन्द्र कुमार	HIG-136	136	4945
कुल कम अग्रेनित राशि					16752

9 ₹19.88 लाख का सविदाकार को अनियमित भुगतान:-

Name of Work	C/o Govt. Polytechnic College at Banikhet, Camba
Estimated Cost	₹4,27,75,807
Award amount	₹8,84,61,597 Civilwork-(105.64% above) WS & SI- (243.31 % above)
Award letter No.	No.Himuda/DD/CB/W-7/2010-7488-96 Dated 11.02.11
Justification	Civil work- 107.10 % above WS & SI – 249.60 % above
Agreement No.	37 of 2010-11
Name of Contractor	M/s Alok Builders
Measurement Books	1853,1849,1916
Running Bill	25 th ,26 th and 27 th running bill
Time allotted	One and half year

उपरोक्त निर्माण कार्य के विभिन्न चलित बिलों की जांच पड़ताल के दौरान निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई :-

(क) अनुबन्ध की क्लॉज़-10-C के अन्तर्गत सविदाकार को ₹19.88 लाख का अनुचित लाभ:-

उक्त कार्य के 25वें चलित बिल की जांच में पाया कि सविदाकार को वाउचर संख्या 158 दिनांक 23.02.16 में अनुबन्ध की क्लॉज़ 10-C के अन्तर्गत अवधि 01.04.12 से माह 11/2015 तक के लिए ₹20,51,426/-का भुगतान किया गया था जिसमे से ₹19,87,336/-का अनियमित भुगतान किया

गया प्रतीत होता है। अनुबन्ध की क्लॉज़ 10-C के अन्तर्गत “Only increase exceeding 10% on the price of material and/ or wages is to be reimbursed and upto 10% increase on the price of material and/or wages labour is to be borne by the Contractors. Provided further that any such increase shall not be payable if such increase has become operative after the contractor extended date of completion of the work in question. No adjustment of profit is allowed under clause 10-C.” अनियमित भुगतान का विवरण निम्नलिखित है :-

(i) जांच में पाया की उक्त क्लॉज़ के अन्तर्गत अवधि 01.04.12 से 31.08.12 तक की labour enhancement की गणना करते समय संशोधित दरों में 1/6th paid holiday को जमा किया गया था लेकिन टेंडर के दौरान की दरों में 10% तक की enhancement की गणना के लिए 1/6th paid holiday को जमा नहीं किया गया था जिससे सविंदाकार को ₹66,183 का अनुचित लाभ प्रदान किया गया था, जिसका विवरण निम्नलिखित है :

Designation	Labour man day	Rate of labour i/c 1/6 th PH	Increase not payable up to 10%	Revised rate of labour i/c 1/6 th PH	Diff. to be paid	Actual Paid	Excess Payment
Beldar	3648.20	128.33	141.16 (128.33+12.83)	151.67	10.51	23.34	46806.41
Blaster/Hole driller	9.12	128.33	141.16	151.67	10.51	23.34	117.00
Bhisti	278.27	128.33	141.16	151.67	10.51	23.34	3570.00
Mate	43.64	128.33	141.16	151.67	10.51	23.34	560.00
Mason 1 st Class	61.69	163.33	179.66 (163.33+16.33)	207.67	28.01	44.34	1007.00
Mason 2 nd Class	63.54	137.67	151.44 (137.67+13.77)	193.67	42.23	56	875.00
Carpenter 1 st Class	142.58	163.33	179.66 (163.33+16.33)	207.67	28.01	44.34	2328.00
Carpenter 2 nd Class	232.76	137.67	151.44 (137.67+13.77)	193.67	42.23	56	3205.00
Blacksmith 1 st Class	472.46	163.33	179.66 (163.33+16.33)	207.67	28.01	44.34	7715.00
						Total	66183.41

उक्त अनियमितता की सूचना अधीक्षण अभियन्ता को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 299 दिनांक 06.02.17 द्वारा दी गई थी जिसकी अनुपालना में वाउचर संख्या 123 दिनांक 22.02.17 में सविंदाकार से ₹66,183/- की वसूली कर ली गई एवं इसकी पुष्टि भी अंकेक्षण के दौरान कर ली गई थी ।

(i) जांच में पाया की उक्त क्लॉज़ के अन्तर्गत अवधि 01.09.12 से 11/2015 तक की labour enhancement के रूप में सविंदाकार को ₹19,21,153/- का भुगतान किया गया था, जबकि उक्त क्लॉज़ की शर्त के अनुसार labour enhancement की क्षतिपूर्ति केवल 31.08.12 तक ही देय थी। अतः निर्धारित अवधि के पश्चात भुगतान किए गए इस अनियमित भुगतान ₹19,21,153 बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 299 दिनांक 06.02.17 द्वारा सूचना दी गई थी, जिसकी अनुपालना में पत्र संख्या HIMUDA/DD/AB/Audit-15-16(4/2015 to 3/2016)/2016-8680 दिनांक 08.03.17 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उक्त अनियमित भुगतान ₹19,21,153 की वसूली सविंदाकार से अगले चलित बिल से कर ली जाएगी। अतः वसूली के उपरान्त कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए एवं भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता को न दोहराया जाये।

(क) सविंदाकार को ₹390/-का अधिक भुगतान :-

जांच में पाया कि माप पुस्तिका 1916 के पृष्ठ 20 में 8 एम०एम० टी०एम०टी० स्टील की दर्ज मात्रा का कुल योग 2583.16 रनिंग मीटर था जबकि यह 2604.16 रनिंग मीटर दर्शाई गई थी जिसके परिणाम स्वरूप इसे 1007.43 कि०ग्रा० (2583.16 X .39) के स्थान पर 1015.62 कि०ग्रा० (2604.16 X .39) लेकर माप पुस्तिका 1853 के पृष्ठ 80 में अग्रेनित करके ₹390/- (8.19 कि०ग्रा० X 47.65) का अधिक भुगतान कर दिया गया था अतः इसकी वसूली उचित स्रोत से करना सुनिश्चित करें।

(ख) अनुबन्ध की क्लॉज़-2 के अनुसार कार्यवाही न करने बारे :-

उपरोक्त कार्य के सम्पूर्ण निष्पादन हेतु दिनांक 31.08.12 तक का समय दिया गया था। जबकि जांच में पाया कि दिनांक 31.03.16 तक कार्य प्रगति पर था एवं संबन्धित विभाग द्वारा समय-2 पर लगभग ₹9,33,97,800 भी हिमुडा के कार्यालय में जमा करवा दी थी। अतः निर्धारित समय अवधि में कार्य पूरा न करने एवं अनुबन्ध की क्लॉज़-2 के अनुसार कार्यवाही न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये। अनुबन्ध की क्लॉज़-2 के अनुसार यदि सविंदाकार आबंटित समय में कार्य का निष्पादन नहीं करता है तो अनुमानित टेंडर राशि का 10% भाग के बराबर क्षतिपूर्ति के रूप में दण्ड लगाया जाना अपेक्षित था अर्थात् उक्त कार्य की टेंडर ₹8,84,61,597/- का 10% जो ₹88,46,160/- बनता है। परन्तु हिमुडा मण्डल धर्मशाला द्वारा अनुबन्ध की क्लॉज़-2 के अनुसार कार्यवाही न करके सविंदाकार को ₹88,46,160/- का अनुचित लाभ प्रदान किया गया जिसके सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्रोत से करना सुनिश्चित करें।

10 ₹15.60 लाख का स्टील के क्रय के एवज में आपूर्तिकर्ताओं को अधिक भुगतान:-

चयनित माह 03/2016 के व्यय वाउचरों की जांच में पाया कि मण्डल द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु स्टील का क्रय हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पत्र संख्या-4-ind/SP-3(M-84)14/2014 दिनांक 06.01.2016 के अन्तर्गत निर्धारित दरों से अधिक दरों पर किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप चयनित माह में ₹15,59,843/- का अधिक भुगतान किया गया था, जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

वाo संo	परफोर्मा बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	भुगतान की गई राशि	अपेक्षित भुगतान योग्य राशि	अधिक भुगतान
24 दिनांक 02.03.16	77 दिनांक 24.10.15,M/s Amba Shakti Ispat Ltd, Kala Amb, Sirmour	8MM-53 MT 10MM- 15.975MT 12MM- 9.835MT 16MM- 1.970MT 20MM- 36.500MT 25MM- 37.500MT	@47500/- ₹2517500 @46600/- ₹744435 @46000/- ₹452410 @46000/-₹90620 @46000/- ₹1679000 @46000/- ₹1725000	@41236/- ₹2185508 @40283/-₹643521 @39807/-₹391502 @39807/-₹78420 @39807/- ₹1452956 @39807/- ₹1492763 VAT @5% Total	331992 100914 60908 12200 226044 232237 964295 48215 1012510
4 दिनांक 01.03.16	202 दिनांक 05.11.2015 M/s Sood steel Industry	8MM-12MT 10MM-2MT 12MM-2MT 16MM-8MT 20MM-8MT 25MM-8MT	@47500/- ₹570000 @46600/-₹93200 @46000/-₹92000 @46000/- ₹368000 @46000/- ₹368000 @46000/- ₹368000	@42760/-₹513120 @41712/-₹83424 @41236/-₹82472 @41236/-₹329888 @41236/-₹329888 @41236/-₹329888 VAT @5% Total	56880 9776 9528 38112 38112 38112 190520 9526 200046
5 दिनांक 01.03.16	324 दिनांक 15.12.2015 M/s Sood steel Industry	8MM-10MT 10MM-3MT 16MM-2MT	@47500/- ₹475000 @46600/- ₹139800 @46000/-₹92000	@41236/-₹412360 @40283/-₹120849 @39807/-₹79614 VAT @5% Total	62640 18951 12386 93977 4699 98676

254	11 दिनांक	8MM-15MT	@47500/-	@41236/-	₹618540	93960
दिनांक	07.12.2015	10MM-3MT	₹712500	@40283/-	₹120849	18951
31.03.16	M/s Sood	12MM-2MT	@46600/-	@39807/-	₹79614	12386
	steel Industry	16MM-6MT	₹139800	@39807/-	₹238842	37158
		20MM-5.5MT	@46000/-	@39807/-	₹218938	34062
		25MM-6.5MT	@46000/-	@39807/-	₹258745	40255
			₹276000			
			@46000/-	VAT @5%		
			₹253000	Total		
			@46000/-			236772
			₹299000			11839
						248611

Total excess payment 1559843

उक्त अनियमितता की सूचना अधीक्षण अभियन्ता को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 303 दिनांक 13.02.17 द्वारा दी गई थी, जिसकी अनुपालना में पत्र संख्या HIMUDA/DD/AB/Audit-15-16(4/2015 to 3/2016)/2016-8683 दिनांक 08.03.17 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उक्त अनियमित भुगतान में से ₹10,00,000/- की वसूली वाउचर संख्या 142 दिनांक 23.02.17 में कर ली गई थी जिसकी पुष्टि भी अंकेक्षण के दौरान कर ली गई थी एवं शेष ₹5,59,843 की वसूली भी आपूर्तिकर्ताओं से करने की बात कही गई थी। अतः शेष राशि की शीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ एवं चयनित माह के अतिरिक्त अन्य माहों में किए गए इस प्रकार के अनियमित भुगतानों की भी वसूली करना सुनिश्चित करें।

11 ₹0.08 लाख का संविदाकार को अधिक भुगतान :-

Name of Work	C/o 8 Nos Cat-I Flats with Parking including WS & SI Block No.16 psfs Sidhpur Mohali
Estimated Cost	₹1,15,79,831/-
Award amount	₹1,30,30,760/- Civilwork-`1,24,02,938/- (9.62% above) WS & SI- ` 6,27,822/-
Award letter No.	No.Himuda/DD/CB/W-7/2014-5914-22 Dated 23.02.15
Agreement No.	34 of 2014-15
Name of Contractor	Sh. Balwant Singh Baloria
Measurement Books	1746,1775,1776,1777
Voucher Nos	33 dated 04.03.16 (1 st running bill)

उपरोक्त निर्माण कार्य के प्रथम चलित बिल की जांच पड़ताल के दौरान निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई :-

(i) जांच में पाया कि माप पुस्तिका 1776 के पृष्ठ 7 में 16 एम०एम० स्टील की 443.50 किलोग्राम मात्रा के स्थान पर 453.61 कि०ग्रा० की मात्रा लेकर ₹56/- प्रति किलोग्राम की दर से भुगतान किया गया था। इस प्रकार 10.11 किलोग्राम मात्रा का ₹56/- प्रति किलोग्राम की दर से ₹566/- का अधिक भुगतान किया गया था, जिसकी सूचना अंकेक्षण अधियाचना संख्या 304 दिनांक 13.02.17 द्वारा दी गई थी, जिसकी अनुपालना में पत्र संख्या HIMUDA/DD/AB/Audit-15-16(4/2015 to 3/2016)/2016-8681 दिनांक 08.03.17 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उक्त अधिक भुगतान ₹566/- की वसूली संबन्धित संविदाकार से कर ली गई थी एवं इसकी प्रविष्टि माप पुस्तिका 1776 के पृष्ठ-78 माह 03/2017 में दर्ज है, जिसकी पुष्टि भी अंकेक्षण के दौरान कर ली गई थी।

(ii) स्टील का गलत फैक्टर लगाने के कारण संविदाकार को ₹7137 का अधिक भुगतान :-

उपरोक्त वर्णित निर्माण कार्य में प्रोवाइडिंग टी०एम०टी० स्टील रिइनफोरसमेंट के करवाये गये कार्य की रिकार्ड प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया गया कि 8 एम०एम० टी०एम०टी० स्टील को रनिंग मीटर से किलोग्राम में बदलते समय प्रतिमीटर 0.395 कि०ग्रा० का फैक्टर लगाकर गणना की गई थी जबकि नियमानुसार गणना 0.39 कि०ग्रा० प्रतिमीटर का फैक्टर लगाया जाना अपेक्षित था। निम्न विवरणानुसार संविदाकार का गलत फैक्टर लगाये जाने के कारण 127.44 कि०ग्रा० अधिक ली गई मात्रा हेतु अनुबन्धित दर ₹56/- प्रति कि०ग्रा० की दर से ₹7137/- का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली उचित स्रोत से करके कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

माप पुस्तिका	गणना जो कि गई (0.395 फैक्टर द्वारा)	सही गणना(0.39 फैक्टर द्वारा)	अधिक गणना
1776 पृष्ठ 7	2167.39X 0.395 =856.12 kg	2167.39X 0.39 =845.27 kg	10.85kg
1776 पृष्ठ 12	1395.76X 0.395 =551.33 kg	1395.76X 0.39 =544.33 kg	7kg
1776 पृष्ठ 14	2475.80X 0.395 =977.94 kg	2475.80X 0.39 =965.56 kg	12.38
1776 पृष्ठ 21	2946.40X 0.395 =1163.82 kg	2946.40X 0.39 =1149.10 kg	14.72
1776 पृष्ठ 26	2697.61X 0.395 =1065.56 kg	2697.61X 0.39 =1052.07 kg	13.49
1776 पृष्ठ 28	1628.16X 0.395 =643.12 kg	1628.16X 0.39 =634.98 kg	8.14
1776 पृष्ठ 34	5325.22X 0.395 =2103.46 kg	5325.22X 0.39 =2076.84 kg	26.62
1776 पृष्ठ 36	1531.20X 0.395 =604.82 kg	1531.20X 0.39 =597.17 kg	7.65
1776 पृष्ठ 42	5317.62X 0.395 =2100.46 kg	5317.62X 0.39 =2073.87 kg	26.59
		कुल मात्रा	127.44

12 निर्माण कार्य “C/o GHS Badyali” में ₹0.15 लाख का संविदाकार को अनुचित लाभ :-

Name of Work	C/o GHS Badyali (SH:C/o School building under RMSA)		
Estimated Cost	₹23,41,562/-		
Award amount	₹28,60,264/- (22.51 % above)		
Award letter No.	No.Himuda/DD/CB/W-7/2014-2878-85	Dated	22.07.15
Justification	26.51% above		
Agreement No.	30 of 2015-16		
Name of Contractor	Sh. Anil Kumar		
Measurement Books	1900,1901		
Voucher Nos	61 dated 09.03.16 (1 st running bill)		

उपरोक्त निर्माण कार्य के प्रथम चलित बिल की जांच पड़ताल के दौरान निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई :-

(क) न्याय संगत दरों से अधिक दरों पर कार्य का आबंटन करने के फलस्वरूप ₹14694/- की वित्तीय हानि :-

जांच में पाया कि उपरोक्त कार्य के आबंटन के दौरान न्यायसंगत दरों को नजर अन्दाज किया गया था एवं संविदाकार के पक्ष में न्यायसंगत दरों से अधिक दरें अनुमोदित करके संविदाकार को अनुचित लाभ प्रदान किया गया था जिससे विभाग को उपरोक्त कार्य की निम्नलिखित मद की निष्पादित मात्रा के आधार पर ₹14694/-का अधिक भुगतान होने की सम्भावना है। अतः न्यायसंगत दरों से अधिक पर कार्य का आबंटन करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्रोत से करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ। अधिक सम्भावित भुगतान का विवरण निम्नलिखित है :-

	मद का विवरण	निष्पादित मात्रा	न्याय संगत दरें	भुगतान हेतु अनुमोदित दरें	अपेक्षित अधिक भुगतान
8	Providing tor steel for RCC work	14694.32 किलोग्राम MB-1901 P-35	61	62	14694

अतः उक्त मदों में संविदाकार से समझौता वार्ता (नेगोसीएसन) की जानी अपेक्षित थी ताकि कार्य का आबंटित न्यायसंगत दरों के भीतर होता एवं उपरोक्त बचत की राशि का प्रयोग अन्य कार्य हेतु किया जा सकता था ।

(ख) जांच में पाया कि माप पुस्तिका 1900 के पृष्ठ 8 में स्टील की 2484.27 किलोग्राम मात्रा दर्ज थी जबकि इसी माप पुस्तिका के पृष्ठ 35 में 2491.50 कि०ग्रा० की मात्रा अग्रेनित करके ₹62/- प्रति किलोग्राम की दर से ₹448/- का अधिक भुगतान किया गया था, जिसकी सूचना अंकेक्षण अधियाचना संख्या 304 दिनांक 13.02.17 द्वारा दी गई थी, जिसकी अनुपालना में पत्र संख्या HIMUDA/DD/AB/Audit-15-16(4/2015 to 3/2016)/2016-8681 दिनांक 08.03.17 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उक्त अधिक भुगतान ₹448/- की वसूली समायोजित वाउचर संख्या 4 माह 03/2017 द्वारा कर ली गई, जिसकी पुष्टि भी अंकेक्षण के दौरान कर ली गई थी।

13 ₹0.24 लाख का संविदाकार को अनुचित लाभ :-

Name of Work	C/o GHS Ghetta
Estimated Cost	₹26,65,617 /-
Award amount	₹33,95,114/- (27.37 % above)
Award letter No.	No.Himuda/DD/CB/W-7/2014-2701-08 Dated 15.07.15
Justification	27.60% above
Agreement No.	26 of 2015-16
Name of Contractor	Sh. Mohd. Hafiz
Measurement Books	1908
Voucher Nos	205 dated 30.03.16 (1 st running bill)

उपरोक्त निर्माण कार्य के प्रथम चलित बिल की जांच पड़ताल के दौरान निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई :-

(क) न्याय संगत दरों से अधिक दरों पर कार्य का आबंटन करने के फलस्वरूप ₹18897 की वित्तीय हानि :-

जांच में पाया कि उपरोक्त कार्य के आबंटन के दौरान न्यायसंगत दरों को नजर अन्दाज किया गया था एवं संविदाकार के पक्ष में न्यायसंगत दरों से अधिक दरें अनुमोदित करके संविदाकार को अनुचित लाभ प्रदान किया गया था जिससे विभाग को उपरोक्त कार्य की निम्नलिखित मद की निष्पादित मात्रा के आधार पर ₹18897 का अधिक भुगतान होने की सम्भावना है। अतः न्यायसंगत दरों से अधिक पर कार्य का आबंटन करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्रोत से करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ। अधिक सम्भावित भुगतान का विवरण निम्नलिखित है :-

	मद का विवरण	निष्पादित मात्रा	न्यायसंगत दरें	भुगतान हेतु अनुमोदित दरें	अपेक्षित अधिक भुगतान
8	Providing tor steel for RCC work	18896.93 किलोग्राम MB-1908 P-46	61	62	18897

अतः उक्त मदों में संविदाकार से समझौता वार्ता (नेगोसीएसन) की जानी अपेक्षित थी ताकि कार्य का आबंटित न्यायसंगत दरों के भीतर होता एवं उपरोक्त बचत की राशि का प्रयोग अन्य कार्य हेतु किया जा सकता था ।

- (ख) जांच में पाया कि माप पुस्तिका 1908 के पृष्ठ 30 में मद संख्या 3(d) “Providing form work with steel plate,Beam,Cantilivers” की 87.19 square meter मात्रा दर्ज थी जबकि इसी माप पुस्तिका के पृष्ठ 43 में 106.78 square meter की मात्रा अग्रेनित करके ₹245/- प्रति square meter की दर से ₹4800/- (19.59X245)का अधिक भुगतान किया गया था, जिसकी सूचना अंकेक्षण अधियाचना संख्या 304 दिनांक 13.02.17 द्वारा दी गई थी, जिसकी अनुपालना में पत्र संख्या HIMUDA/DD/AB/Audit-15-16(4/2015 to 3/2016)/2016-8681 दिनांक 08.03.17 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उक्त अधिक भुगतान ₹4800/- की वसूली समायोजित वाउचर संख्या 2 माह 03/2017 द्वारा कर ली गई, जिसकी पुष्टि भी अंकेक्षण के दौरान कर ली गई थी ।

14 निर्माण कार्य “C/o GSSS Kaned में ₹0.16 लाख का अनियमित भुगतान :-

Name of Work	C/o GSSS Kaned
Estimated Cost	₹13,17,881 /-
Award amount	₹17,10,829/- (29.82 % above)
Award letter No.	No.Himuda/DD/CB/W-7/2014-28013-20,Dated 20.07.15
Justification	33.42% above
Agreement No.	28 of 2015-16
Name of Contractor	Sh. Anuj Gupta
Measurement Books	1409,1411
Voucher Nos	146 dated 21.03.16 (1 st running bill)

उपरोक्त निर्माण कार्य के प्रथम चलित बिल की जांच पड़ताल के दौरान निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई :-

(क) न्याय संगत दरों से अधिक दरों पर कार्य का आबंटन करने के फलस्वरूप ₹14837 की वित्तीय हानि:-

जांच में पाया कि उपरोक्त कार्य के आबंटन के दौरान न्यायसंगत दरों को नजर अन्दाज किया गया था एवं संविदाकार के पक्ष में न्यायसंगत दरों से

अधिक दरें अनुमोदित करके संविदाकार को अनुचित लाभ प्रदान किया गया था जिससे विभाग को उपरोक्त कार्य की निम्नलिखित मद की निष्पादित मात्रा के आधार पर ₹14837 का अधिक भुगतान होने की सम्भावना है। अतः न्यायसंगत दरों से अधिक पर कार्य का आबंटन करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्रोत से करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ। अधिक सम्भावित भुगतान का विवरण निम्नलिखित है :-

मद संख्या	मद का विवरण	निष्पादित मात्रा	न्यायसंगत दरें	भुगतान हेतु अनुमोदित दरें	अपेक्षित अधिक भुगतान
9	Providing tor steel for RCC work	6849.51 किलोग्राम MB-1411 P-35	60	62	13699
7(C)	P/L mechanically mixed vibrated reinforcement concrete	14.23 m ² MB-1411 P-35	4520	4600	1138

अतः उक्त मदों में संविदाकार से समझौता वार्ता (नेगोसीएसन) की जानी अपेक्षित थी ताकि कार्य का आबंटित न्यायसंगत दरों के भीतर होता एवं उपरोक्त बचत की राशि का प्रयोग अन्य कार्य हेतु किया जा सकता था।

(ख) स्टील का गलत फैक्टर लगाने के कारण संविदाकार को ₹1370/- का अधिक भुगतान :-

उपरोक्त वर्णित निर्माण कार्य में प्रोवाइडिंग टी०एम०टी० स्टील रिइनफोरसमेंट के करवाये गये कार्य की रिकार्ड प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया गया कि 8 एम०एम० टी०एम०टी० स्टील को रनिंग मीटर से किलोग्राम में बदलते समय प्रतिमीटर 0.395 कि०ग्रा० का फैक्टर लगाकर गणना की गई थी जबकि नियमानुसार गणना 0.39 कि०ग्रा० प्रतिमीटर का फैक्टर लगाया जाना अपेक्षित था। निम्न विवरणानुसार संविदाकार का गलत फैक्टर लगाये जाने के कारण 22.09 कि०ग्रा० अधिक ली गई मात्रा हेतु अनुबन्धित दर ₹62/- प्रति कि०ग्रा० की दर से ₹1370/- का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

माप पुस्तिका	गणना जो कि गई (0.395 फैक्टर द्वारा)	सही गणना (0.39 फैक्टर द्वारा)	अधिक गणना
1411 पृष्ठ 25	336.51 X 0.395 =132.92 kg	336.51 X 0.39 =131.24 kg	1.68 kg
1411 पृष्ठ 27	839.88 X 0.395 =331.75 kg	839.88 X 0.39 =327.55 kg	4.20 kg
1411 पृष्ठ 28	813.60 X 0.395	813.60 X 0.39	4.07 kg

	=321.37 kg	=317.30 kg	
1411 पृष्ठ 32	2428.18 X 0.395	2428.18 X 0.39	12.14 kg
	=959.13 kg	=946.99 kg	
		कुल मात्रा	22.09 kg

(ग) कार्य के निष्पादन हेतु समय विस्तार की स्वीकृति प्रदान न करना :-

उपरोक्त कार्य के सम्पूर्ण निष्पादन हेतु दिनांक 05.02.16 तक का समय दिया गया था जबकि दिनांक 31.03.16 तक संविदाकार द्वारा कार्य पूरा नहीं किया गया था एवं कार्य के निष्पादन हेतु समय विस्तार की स्वीकृति भी प्रदान नहीं की गई थी, अतः अनुबन्ध की क्लॉज-2 के अनुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित थी। क्योंकि संबन्धित विभाग द्वारा समय-2 पर राशि मण्डल के खाते में जमा करने के बावजूद भवन का उपयोग करने से वंचित रहा एवं संबन्धित विभाग के खाते से राशि का आहरण करने से ब्याज के रूप में भी हानि हुई। अतः हिमुडा मण्डल धर्मशाला द्वारा कार्य को समय पर पूरा करवाने हेतु नियमों के अनुसार कार्यवाही न करके संविदाकार को अनुचित लाभ प्रदान किया गया प्रतीत होता है जिसके सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा देरी के कारण हुई हानि की क्षतिपूर्ति उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें ।

15 निर्माण कार्य “C/o GHS at Tangroti, Nagrota Bagwan” में ₹0.75 लाख का संविदाकार को अनुचित लाभ :-

Name of Work	C/o GHS at Tangroti, Nagrota Bagwan
Estimated Cost	₹37,69,500 /-
Award amount	₹48,99,411/- (29.98 % above)
Award letter No.	No.Himuda/DD/CB/W-7/2014-2328-35,Dated 04.07.15
Justification	31.12% above
Agreement No.	22of 2015-16
Name of Contractor	Sh. Rakesh Rana
Measurement Books	1603,1627
Voucher Nos	89 dated 11.03.16 (1 st running bill)

उपरोक्त निर्माण कार्य के प्रथम चलित बिल की जांच पड़ताल के दौरान निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई :-

(क) न्याय संगत दरों से अधिक दरों पर कार्य का आबंटन करने के फलस्वरूप ₹69792/- की वित्तीय हानि:-

जांच में पाया कि उपरोक्त कार्य के आबंटन के दौरान न्यायसंगत दरों को नजर अन्दाज किया गया था एवं संविदाकार के पक्ष में न्यायसंगत दरों से अधिक दरें अनुमोदित करके संविदाकार को अनुचित लाभ प्रदान किया गया था

जिससे विभाग को उपरोक्त कार्य की निम्नलिखित मद की निष्पादित मात्रा के आधार पर ₹69792/-का अधिक भुगतान होने की सम्भावना है। अतः न्यायसंगत दरों से अधिक पर कार्य का आबंटन करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्रोत से करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ। अधिक सम्भावित भुगतान का विवरण निम्नलिखित है :-

मद का विवरण	निष्पादित मात्रा	न्यायसंगत दरें	भुगतान हेतु अनुमोदित दरें	अपेक्षित अधिक भुगतान
8 Providing tor steel for RCC work	22603.74कि लोग्राम	60	63	67811
11 Brick work 2 nd class brick in foundation & plinth	5.49 m ³	6031	6200	928
- 2 nd class brick work in super structure	75.19 m ³	6186	6200	1053
			कुल	69792

अतः उक्त मदों में संविदाकार से समझौता वार्ता (नेगोसीएसन) की जानी अपेक्षित थी ताकि कार्य का आबंटित न्यायसंगत दरों के भीतर होता एवं उपरोक्त बचत की राशि का प्रयोग अन्य कार्य हेतु किया जा सकता था।

(ख) स्टील का गलत फैक्टर लगाने के कारण संविदाकार को ₹5394/- का अधिक भुगतान:-

उपरोक्त वर्णित निर्माण कार्य में प्रोवाइडिंग टी०एम०टी० स्टील रिइन्फोरसमेंट के करवाये गये कार्य की रिकार्ड प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया गया कि 8 एम०एम० टी०एम०टी० स्टील को रनिंग मीटर से किलोग्राम में बदलते समय प्रतिमीटर 0.395 कि०ग्रा० का फैक्टर लगाकर गणना की गई थी जबकि नियमानुसार गणना 0.39 कि०ग्रा० प्रतिमीटर का फैक्टर लगाया जाना अपेक्षित था। निम्न विवरणानुसार गलत फैक्टर लगाये जाने के कारण 85.62 कि०ग्रा० अधिक ली गई मात्रा हेतु अनुबन्धित दर ₹63/- प्रति कि०ग्रा० की दर से संविदाकार को ₹5394/- का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली उचित स्रोत से करके कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

माप पुस्तिका	गणना जो कि गई (0.395 फैक्टर द्वारा)	सही गणना (0.39 फैक्टर द्वारा)	अधिक गणना
1603 पृष्ठ 42	910.73 X 0.395 =359.73 kg	910.73 X 0.39 =355 kg	4.73 kg
1603 पृष्ठ 45	1246.84 X 0.395 =492.50 kg	1246.84 X 0.39 =486 kg	6.50 kg
1603 पृष्ठ 47	1172.64 X 0.395	1172.64 X 0.39	6.00 kg

	=463.19 kg	=457 kg	
1603 पृष्ठ 52	3968.94 X 0.395	3968.94 X 0.39	19.84 kg
	=1567.73 kg	=1547.89 kg	
1603 पृष्ठ 54	1005.06 X 0.395	1005.06 X 0.39	5.00 kg
	=396.99 kg	=391.97 kg	
1603 पृष्ठ 59	3328.56 X 0.395	3328.56 X 0.39	16.65 kg
	=1314.78 kg	=1298.13 kg	
1603 पृष्ठ 60	760.32 X 0.395	760.32 X 0.39	3.80 kg
	=300.32 kg	=296.52 kg	
1603 पृष्ठ 65	3559.16 X 0.395	3559.16 X 0.39	17.80 kg
	=1405.87 kg	=1388.07 kg	
1603 पृष्ठ 66	1062.32 X 0.395	1062.32 X 0.39	5.30 kg
	=419.61 kg	=414.30 kg	
		कुल मात्रा	85.62 kg

16 निर्माण कार्य "C/o ITI Building at Chamba"में ₹2.62 लाख का अनियमित भुगतान:-

Name of Work	C/o ITI Building at Chamba
Estimated Cost	₹1,13,37,988/-
Award amount	₹1,43,57,141/- (Civil: 25.74 % above) WSSI: 218.54% above
Award letter No.	No.Himuda/DD/CB/W-7/2012-5604-12,Dated 17.11.12
Justification	Civil: 35.62 % above, WSSI: 319.95% above
Agreement No.	31of 2012-13
Name of Contractor	M/s Alok Builders
Measurement Books	1812,1813,1310,1377,1917
Voucher Nos	212 dated 31.03.16 (7 th running bill)

उपरोक्त निर्माण कार्य के सातवें चलित बिल की जांच पड़ताल के दौरान पाया कि उक्त कार्य के टेंडर दिनांक 14.05.12 को खुले थे एवं केवल मैसर्ज अलोक बिल्डर्स ने ही आवेदन किया था एवं कार्य का आबंटन एकल टेंडर पर ही कर दिया गया था जबकि अधिशाषी अभियंता ने अधीक्षण अभियंता को पत्र संख्या Himuda/DD/CB/W-7/2012/-3792-93 दिनांक 07.08.12 द्वारा मैसर्ज अलोक बिल्डर्स के टेंडर की दरों में नेगोसियेशन हेतु इस आशय से भेजा गया था कि मैसर्ज अलोक बिल्डर्स का टेंडर न्यूनतम टेंडर है, इसी प्रकार अधीक्षण अभियंता द्वारा CEO को पत्र संख्या

Himuda/SE(N)/HMR/DB/ITI-CHAMBA/12/-864-65 दिनांक 16.08.12 द्वारा मैसर्ज अलोक बिल्डर्स के टेंडर की दरों में नेगोसियेशन हेतु भेजते समय उक्त कार्य के लिए 2 टेंडर प्राप्त किए बताए गए थे जिसमें से उक्त संविदाकार की दरें न्यूनतम दर्शाई गई थी। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त कार्य का आबंटन एकल टेंडर आधार पर किया गया था लेकिन प्रक्रिया न्यूनतम टेंडर के आधार पर आबंटन की अपनाई गई थी, जिससे कार्य के आबंटन के दौरान प्रतियोगी दरों से वंचित होना पड़ा। अतः उक्त कार्य के आबंटन में एकल टेंडर की प्रक्रिया अपनाने बारे स्थिति स्पष्ट की जानी सुनिश्चित करें।

- (क) मिट्टी की खुदाई में निकले आरडीनरी क्वारिड स्टोन की भण्डार प्रविष्टि एम० ए० एस० रजिस्टर में न लेने के फलस्वरूप ₹1.78 लाख की वित्तीय हानि:-

जांच में पाया कि उपरोक्त कार्य के निष्पादन के दौरान सातवें चलित बिल तक अनुबन्धित मद संख्या 1 “cutting in earth work“ में 4036.22 cubic meter मिट्टी की खुदाई हेतु ₹625614/- का भुगतान संविदाकार को किया गया था। जांच में पाया कि खुदाई में निकले पत्थरों की वसूली न तो संविदाकार से पत्थर जारी करके की गई थी और न ही पत्थरों को एम० ए० एस० रजिस्टर में दर्ज किया गया था। मान्य सिद्धान्त के अनुसार मिट्टी की खुदाई का न्यूनतम 10% भाग आरडीनरी क्वारिड स्टोन / पत्थरों के रूप में लिया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार कुल मिट्टी की खुदाई 4036.22 cubic meter का 10% भाग जो कि 403.62 cubic meter बनता है। अतः विभाग को निम्न विवरणानुसार हानि हुई है:-

एच०पी०एस०आर० 2009 के अनुसार आरडीनरी क्वारिड स्टोन की निर्धारित दर ₹350/- प्रति घन मीटर, ओवरआल प्रीमियम 25.74% above

कुल दर प्रति घन मीटर 350+25.74% above = ₹440.09 प्रति घन मीटर

इस प्रकार 403.62 घन मीटर पत्थरों का कुल मूल्य ₹177629/- (403.62 X 440.09) की वित्तीय हानि हुई है जिस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए एवं उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए।

- (ख) न्याय संगत दरों से अधिक दरों पर कार्य का आबंटन करने के फलस्वरूप ₹0.84 लाख की वित्तीय हानि:-

जांच में पाया कि उपरोक्त कार्य के आबंटन के दौरान न्यायसंगत दरों को नजर अन्दाज किया गया था एवं संविदाकार के पक्ष में न्यायसंगत दरों से अधिक दरें अनुमोदित करके संविदाकार को अनुचित लाभ प्रदान किया गया था जिससे विभाग को उपरोक्त कार्य की निम्नलिखित मद की निष्पादित मात्रा के आधार पर ₹84032/-का अधिक भुगतान होने की सम्भावना है। अतः न्यायसंगत दरों से अधिक पर कार्य का आबंटन करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्रोत से करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ। अधिक सम्भावित भुगतान का विवरण निम्नलिखित है:-

मद संख्या	मद का विवरण	अनुमानित मात्रा	न्यायसंगत दरें	भुगतान हेतु अनुमोदित दरें	अपेक्षित अधिक भुगतान
1	Cutting in earth	4229.66 m ³	152.10	155	12266

	work				
5(c)	Providing form work,vertical surface	1324.81 m ²	118.70	170	67963
5 (f)	Providing form work,Beams and cantilevers	835.77 m ²	205.45	210	3803
				कुल	84032

17 निर्माण कार्य “ C/o Millennium College. Sarol Chamba” में ₹6.60 लाख का संविदाकार को अनुचित लाभ:-

Name of Work	C/o Millennium College. Sarol Chamba (C/o Institution Block-II)
Estimated Cost	₹4,02,92,136/-
Award amount	₹4,78,00,429/-(18.63 % above)
Award letter No.	No.Himuda/DD/CB/W-7/2014-658-66 Dated 28.04.15
Justification	32.39% above
Agreement No.	3of 2015-16
Name of Contractor	Sh. Subhash C. Kumar
Measurement Books	1846,1847,1848,1914,1915
Voucher Nos	21 dated 02.03.16 (3 rd running bill)

उपरोक्त निर्माण कार्य के तृतीय चलित बिल की जांच पड़ताल के दौरान निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई :-

(क) न्याय संगत दरों से अधिक दरों पर कार्य का आबंटन करने के फलस्वरूप ₹6.54 लाख की वित्तीय हानि:-

जांच में पाया कि उपरोक्त कार्य के आबंटन के दौरान न्यायसंगत दरों को नजर अन्दाज किया गया था एवं संविदाकार के पक्ष में न्यायसंगत दरों से अधिक दरें अनुमोदित करके संविदाकार को अनुचित लाभ प्रदान किया गया था जिससे विभाग को उपरोक्त कार्य की निम्नलिखित मद की निष्पादित मात्रा के आधार पर संविदाकार को ₹654355/-का अधिक भुगतान होने की सम्भावना है। अतः न्यायसंगत दरों से अधिक पर कार्य का आबंटन करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्रोत से करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ। अधिक सम्भावित भुगतान का विवरण निम्नलिखित है:-

मद संख्या	मद का विवरण	अनुमानित मात्रा	न्यायसंगत दरें	भुगतान हेतु अनुमोदित दरें	अपेक्षित अधिक भुगतान
5.3	Providing form	1189.17 m ²	218.60	250	37340

	work with steel, vertical surface				
12	Applying cement slurry on RCC slab	6204.90 m ²	24.60	30	33506
19	P/F 2 nd class deodar wood 40mm thick	355.66 m ²	2318.50	2900	206816
20	P/F 2 nd class deodar wood 40mm thick paneled door shutter	111.10 m ²	2861.10	3500	70982
21	P/F 2 nd class deodar wood 40mm thick wire gauge shutter	355.66 m ²	2303.30	2800	176656
30	40 mm thick cc flooring 1:2:4	49.05 m ²	282.20	300	873
36	P/F ridge or ips 60 cm	149.50 Rmtr	422	500	11661
45	Applying priming coat over new wood	1426.62 m ²	29.30	40	15265
48	6mm cement plaster	3553.46 m ²	85.20	110	88126
49	15 mm cement plaster	599.54 m ²	128.10	150	13130

कुल 654355

अतः उक्त मदों में संविदाकार से समझौता वार्ता (नेगोसीएसन) की जानी अपेक्षित थी ताकि कार्य का आबंटित न्यायसंगत दरों के भीतर होता एवं उपरोक्त बचत की राशि का प्रयोग अन्य कार्य हेतु किया जा सकता था ।

(क) जांच में पाया कि माप पुस्तिका 1847 के पृष्ठ 84 में 16 mm steel की 25.70 running meter (2X1X12.85) मात्रा के स्थान पर 85.70 running mete दर्ज की गई थी एवं माप पुस्तिका 1848 के पृष्ठ 25 में 95 किलोग्राम (60X1.58) स्टील की अधिक मात्रा को अग्रेनित करके ₹59/- प्रति किलोग्राम की दर से ₹5605/- (95X59) का अधिक भुगतान किया गया था, जिसकी सूचना अंकेक्षण अधियाचना संख्या 304 दिनांक 13.02.17 द्वारा दी गई थी, जिसकी अनुपालना में पत्र संख्या HIMUDA/DD/AB/Audit-15-16(4/2015 to 3/2016)/2016-8681 दिनांक 08.03.17 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उक्त अधिक भुगतान ₹5605/- की वसूली समायोजित वाउचर संख्या 1 माह 03/2017 द्वारा कर ली गई, जिसकी पुष्टि भी अंकेक्षण के दौरान कर ली गई थी ।

18 ₹861/- का संविदाकार को अनुचित लाभ:-

Name of Work	C/o GSSS at Parchhor
Estimated Cost	₹27,35,502 /-

Award amount	₹36,50,180/- (33.44 % above)
Award letter No.	No.Himuda/DD/CB/W-7/2014-2862-69,Dated 22.07.15
Justification	41.98% above
Agreement No.	31of 2015-16
Name of Contractor	M/s astha construction co.
Measurement Books	1854,1913
Voucher Nos	148 dated 21.03.16 (1 st running bill)

उपरोक्त निर्माण कार्य के प्रथम चलित बिल की जांच पड़ताल के दौरान निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई :-

(क) स्टील का गलत फैक्टर लगाने के कारण संविदाकार को ₹861/- का अधिक भुगतान :-

उपरोक्त वर्णित निर्माण कार्य में प्रोवाइडिंग टी०एम०टी० स्टील रिइनफोरसमेंट के करवाये गये कार्य की रिकार्ड प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया गया कि 8 एम०एम० टी०एम०टी० स्टील को रनिंग मीटर से किलोग्राम में बदलते समय प्रतिमीटर 0.395 कि०ग्रा० का फैक्टर लगाकर गणना की गई थी जबकि नियमानुसार गणना 0.39 कि०ग्रा० प्रतिमीटर का फैक्टर लगाया जाना अपेक्षित था । निम्न विवरणानुसार संविदाकार का गलत फैक्टर लगाये जाने के कारण 14.12 कि०ग्रा० अधिक ली गई मात्रा हेतु अनुबन्धित दर ₹61/- प्रति कि०ग्रा० की दर से ₹861/- का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली उचित ख़ात से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

माप पुस्तिका	गणना जो कि गई (0.395 फैक्टर द्वारा)	सही गणना (0.39 फैक्टर द्वारा)	अधिक गणना
1854 पृष्ठ 15	1067.80 X 0.395 =421.78 kg	1067.80 X 0.39 =416.44 kg	5.34 kg
1854 पृष्ठ 15	711.90 X 0.395 =281.20 kg	711.90 X 0.39 =277.64 kg	3.56 kg
1854 पृष्ठ 19	1044.12 X 0.395 =412.42 kg	1044.12 X 0.39 =407.20 kg	5.22 kg
		कुल मात्रा	14.12 kg

19 अंकेक्षण के दौरान बांछित अभिलेख प्रस्तुत न करना एवं ₹0.38 लाख का अनियमित भुगतान :-

Name of Work	C/o Circle office Building
Award amount	₹2,76,16,410/- (Lump sum 16.98% above)
Award letter No.	No.Himuda/DD/CB/W-7/2014-3382-90,Dated

19.08.15

Justification	-
Agreement No.	34of 2015-16
Name of Contractor	M/s SynergyThrislington
Measurement Books	1906
Voucher Nos	202 dated 30.03.16 (1 st to 5 th running bill)

उपरोक्त निर्माण कार्य के विभिन्न चलित बिलों की जांच पड़ताल के दौरान निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई :-

(क) जांच में पाया कि उक्त कार्य के लिए M/s Synergy Thrislington ने ₹3,02,68,574/- की दरें भरी थी जो कि negotiation के पश्चात ₹2,76,16,410/- में lump sum अनुबंध पर एवं एकल टेंडर आधार पर आबंटित किया गया था लेकिन उक्त कार्य की न्यायसंगत दरें तैयार नहीं की गई थी। अतः अंकेक्षण को स्पष्ट किया जाए कि उक्त कार्य का आबंटन न्यायसंगत राशि के भीतर ही किया गया था अथवा नहीं एवं negotiation के आधार से भी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) अंकेक्षण के दौरान उक्त कार्य की अनुमानित राशि तैयार करने के आधार से अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया गया अर्थात् अनुमानित राशि का निर्धारण शैड्यूल की दरों से किया गया था या बाजार में प्रचलित दरों से। यदि उक्त कार्य की अनुमानित राशि बाजार में प्रचलित दरों के आधार पर किया गया था तो उक्त कार्य को अनुमानित राशि से 16.98% अधिक पर आबंटन करने का औचित्य स्पष्ट करें।

(ग) उक्त कार्य में प्रयोग किए गए सीमेंट एवं स्टील की उपभोग सूची तैयार नहीं की गई थी जिससे इस बात का पता नहीं चल सका कि उक्त कार्य के निर्माण में सीमेंट एवं स्टील की कितनी मात्रा प्रयोग की गई थी। अतः बांछित सूची तैयार करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(घ) आबंटन पत्र की शर्त संख्या 6 के अनुसार “You have agreed that you will not claim anything extra if the scope of work is reduced or increased and site is changed by the department.” जबकि जांच में पाया कि माप पुस्तिका 1906 के पृष्ठ 22 में (1) 3 “D”Acrylic letter green300 mm per letter colour 6PC (2) 3 “ D”Acrylic logo round 830mm/Diameter 1Nos, के अतिरिक्त कार्य के लिए ₹38000/-का अतिरिक्त भुगतान किया गया था जबकि आबंटन पत्र की शर्त के अनुसार उक्त राशि भुगतान योग्य नहीं थी। अतः आबंटन पत्र की उक्त शर्त को दरकिनार कर ₹38000/-का अनियमित भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्रोत से करना सुनिश्चित करें।

20 निर्माण कार्य “C/o New jail at Rajpura” में ₹0.73 लाख का संविदाकार को अनुचित लाभ:-

Name of Work	C/o New jail at Rajpura (SH: C/o male barrack (64 bedded)
Award amount	₹1,63,39,103/- (Civil: 55.45 % above) WSSI: 34.38% above
Award letter No.	No.Himuda/DD/CB/W-7/2015-2245-53,Dated 01.07.15
Justification	Civil: 66.36 % above, WSSI: 51.98% above
Agreement No.	16of 2015-16

Name of Contractor	M/s Ajay Mahajan
Measurement Books	1804,1912
Voucher Nos	23 dated 02.03.16 (1 st running bill)

उपरोक्त निर्माण कार्य के प्रथम चलित बिल की जांच पड़ताल के दौरान निम्नलिखित आपति दर्ज की गई।

- (क) मिट्टी की खुदाई में निकले आरडीनरी क्वारिड स्टोन की भण्डार प्रविष्टि एम० ए० एस० रजिस्टर में न लेने के फलस्वरूप ₹0.73 लाख की वित्तीय हानि:-

जांच में पाया कि उपरोक्त कार्य के निष्पादन के दौरान सातवें चलित बिल तक अनुबन्धित मद "cutting in earth work" में 1342.48cubic meter मिट्टी की खुदाई हेतु ₹187947/- का भुगतान संविदाकार को किया गया था। जांच में पाया कि खुदाई में निकले पत्थरों की वसूली न तो संविदाकार से पत्थर जारी करके की गई थी और न ही पत्थरों को एम० ए० एस० रजिस्टर में दर्ज किया गया था । मान्य सिद्धान्त के अनुसार मिट्टी की खुदाई का न्यूनतम 10 % भाग आरडीनरी क्वारिड स्टोन/पत्थरों के रूप में लिया जाना अपेक्षित था । इस प्रकार कुल मिट्टी की खुदाई 1342.48cubic meter का 10% भाग जो कि 134.25cubic meter बनता है । अतः विभाग को निम्न विवरणानुसार हानि हुई है :-

एच०पी०एस०आर० 2009 के अनुसार आरडीनरी क्वारिड स्टोन की निर्धारित दर `350/- प्रति घन मीटर, ओवरआल प्रीमियम 55.45 % above

कुल दर प्रति घन मीटर 350+55.45% above =₹544.08 प्रति घन मीटर

इस प्रकार 134.25 घन मीटर पत्थरों का कुल मूल्य ₹73043/- (134.25X 544.08) की वित्तीय हानि हुई है जिस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए एवं उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए ।

- 21 निर्माण कार्य " C/o Ayurvedic College Paprola (SH: Widening of approach road)" में ₹1.01 लाख का संविदाकार को अनुचित लाभ:-

Name of Work	C/o Ayurvedic College Paprola (SH: Widening of approach road)
Estimated Cost	₹17,58,912/-
Award amount	₹26,13,092/- (48.56 % above)
Award letter No.	No.Himuda/DD/CB/W-7/2014-6668-75,Dated 30.03.15
Justification	65.43 % above,
Agreement No.	88of 2014-15
Name of Contractor	Sh. P.L.Sharma
Measurement Books	1792
Voucher Nos	182 dated 28.03.16 (2 nd running bill)

उपरोक्त निर्माण कार्य के दूसरे चलित बिल की जांच पड़ताल के दौरान निम्नलिखित आपति दर्ज की गई ।

- (क) मिट्टी की खुदाई में निकले आरडीनरी क्वारिड स्टोन की भण्डार प्रविष्टि एम० ए० एस० रजिस्टर में न लेने के फलस्वरूप ₹1.01 लाख की वित्तीय हानि:-

जांच में पाया कि उपरोक्त कार्य के निष्पादन के दौरान दूसरे चलित बिल तक अनुबन्धित मद "cutting in earth work" में 1934.75 cubic meter मिट्टी की खुदाई हेतु ₹348253/- का भुगतान संविदाकार को किया गया था। जांच में पाया कि खुदाई में निकले पत्थरों की वसूली न तो संविदाकार से पत्थर जारी करके की गई थी और न ही पत्थरों को एम० ए० एस० रजिस्टर में दर्ज किया गया था। मान्य सिद्धान्त के अनुसार मिट्टी की खुदाई का न्यूनतम 10 % भाग आरडीनरी क्वारिड स्टोन / पत्थरों के रूप में लिया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार कुल मिट्टी की खुदाई 1934.75 cubic meter का 10% भाग जो कि 193.48 cubic meter बनता है। अतः विभाग को निम्न विवरणानुसार हानि हुई है:-

एच०पी०एस०आर० 2009 के अनुसार आरडीनरी क्वारिड स्टोन की निर्धारित दर ₹350/- प्रति घन मीटर, ओवरआल प्रीमियम 48.56 % above

कुल दर प्रति घन मीटर 350+48.56% above = ₹ 519.96 प्रति घन मीटर

इस प्रकार 193.48 घन मीटर पत्थरों का कुल मूल्य ₹100602/- (193.48 X 519.96) की वित्तीय हानि हुई है जिस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए एवं उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए।

- (ख) कार्य के निष्पादन हेतु समय विस्तार की स्वीकृति प्रदान न करना :-

उपरोक्त कार्य के सम्पूर्ण निष्पादन हेतु दिनांक 15.10.15 तक का समय दिया गया था जबकि दिनांक 31.03.16 तक संविदाकार द्वारा कार्य पूरा नहीं किया गया था एवं कार्य के निष्पादन हेतु समय विस्तार की स्वीकृति भी प्रदान नहीं की गई थी, अतः अनुबन्ध की क्लॉज-2 के अनुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित थी। अतः हिमुडा मण्डल धर्मशाला द्वारा कार्य को समय पर पूरा करवाने हेतु नियमों के अनुसार कार्यवाही न करके संविदाकार को अनुचित लाभ प्रदान किया गया प्रतीत होता है जिसके सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा देरी के कारण हुई हानि की क्षतिपूर्ति उचित स्रोत से करना सुनिश्चित करें।

- 22 निर्माण कार्य " C/o GSSS Dhatti " ₹0.53 लाख का संविदाकार को अनुचित लाभ:-

Name of Work	C/o GSSS Dhatti
Estimated Cost	₹23,47,100 /-
Award amount	₹28,94,199/- (23.31 % above)
Award letter No.	No.Himuda/DD/CB/W-7/2014-2550-56,Dated 13.07.15
Justification	36.01% above
Agreement No.	24of 2015-16
Name of Contractor	Sh. Ranbir Singh
Measurement Books	1839
Voucher Nos	140 dated 21.03.16 (2 nd running bill)

उपरोक्त निर्माण कार्य के दूसरे चलित बिल की जांच पड़ताल के दौरान निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई :-

(क) न्याय संगत दरों से अधिक दरों पर कार्य का आबंटन करने के फलस्वरूप ₹0.50 लाख की वित्तीय हानि:-

जांच में पाया कि उपरोक्त कार्य के आबंटन के दौरान न्यायसंगत दरों को नजर अन्दाज किया गया था एवं संविदाकार के पक्ष में न्यायसंगत दरों से अधिक दरें अनुमोदित करके संविदाकार को अनुचित लाभ प्रदान किया गया था जिससे विभाग को उपरोक्त कार्य की निम्नलिखित मद की निष्पादित मात्रा के आधार पर संविदाकार को ₹49514/- का अधिक भुगतान होने की सम्भावना है। अतः न्यायसंगत दरों से अधिक पर कार्य का आबंटन करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्रोत से करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ। अधिक सम्भावित भुगतान का विवरण निम्नलिखित है:-

	मद का विवरण	अनुमानित मात्रा	न्यायसंगत दरें	भुगतान हेतु अनुमोदित दरें	अपेक्षित अधिक भुगतान
8	Providing tor steel for RCC work	16504.50 किलोग्राम	59	62	49514

अतः उक्त मदों में संविदाकार से समझौता वार्ता (नेगोसीएसन) की जानी अपेक्षित थी ताकि कार्य का आबंटित न्यायसंगत दरों के भीतर होता एवं उपरोक्त बचत की राशि का प्रयोग अन्य कार्य हेतु किया जा सकता था ।

(ख) स्टील का गलत फैक्टर लगाने के कारण संविदाकार को ₹3218/- का अधिक भुगतान:-

उपरोक्त वर्णित निर्माण कार्य में प्रोवाइडिंग टी०एम०टी० स्टील रिइनफोरसमेंट के करवाये गये कार्य की रिकार्ड प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया गया कि 8 एम०एम० टी०एम०टी० स्टील को रनिंग मीटर से किलोग्राम में बदलते समय प्रतिमीटर 0.395 कि०ग्रा० का फैक्टर लगाकर गणना की गई थी जबकि नियमानुसार गणना 0.39 कि०ग्रा० प्रतिमीटर का फैक्टर लगाया जाना अपेक्षित था। निम्न विवरणानुसार संविदाकार का गलत फैक्टर लगाये जाने के कारण 51.90 कि०ग्रा० अधिक ली गई मात्रा हेतु अनुबन्धित दर ₹62/- प्रति कि०ग्रा० की दर से ₹3218/- का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

माप पुस्तिका	गणना जो कि गई (0.395 फैक्टर द्वारा)	सही गणना (0.39 फैक्टर द्वारा)	अधिक गणना
1839 पृष्ठ 2	604.80 X 0.395 =238.90 kg	604.80 X 0.39 =235.87 kg	3.03 kg
1839 पृष्ठ 5	1429.20 X 0.395	1429.20 X 0.39	7.14 kg

	=564.53 kg	=557.39 kg	
1839 पृष्ठ 8	117.80 X 0.395	117.80 X 0.39	0.59 kg
	=46.53 kg	=45.94 kg	
1839 पृष्ठ 12	3657.20 X 0.395	3657.20 X 0.39	18.28 kg
	=1444.59 kg	=1426.31 kg	
1839 पृष्ठ 14	703.12 X 0.395 =	703.12 X 0.39 =	3.51 kg
	277.73 kg	274.22 kg	
1839 पृष्ठ 15	35 X 0.395 =13.825	35 X 0.39 =13.65	0.18 kg
	kg	kg	
1839 पृष्ठ 21	212.40 X 0.395	212.40 X 0.39	1.06 kg
	=83.90 kg	=82.84 kg	
1839 पृष्ठ 25	3013.07 X 0.395	3013.07 X 0.39	15.07 kg
	=1190.16 kg	=1175.09 kg	
1839 पृष्ठ 26	404.16 X 0.395	404.16 X 0.39	2.02 kg
	=159.64 kg	=157.62 kg	
1839 पृष्ठ 27	202.80 X 0.395	202.80 X 0.39	1.02kg
	=80.11 kg	=79.09 kg	
		कुल मात्रा	51 . 90kg

23 निर्माण कार्य “C/o GSSS Khalet” में ₹0.28 लाख का अनियमित भुगतान :-

Name of Work	C/o GSSS Khalet
Estimated Cost	₹11,98,200 /-
Award amount	₹15,23,320/- (27.13 % above)
Award letter No.	No.Himuda/DD/CB/W-7/2014-2320-27,Dated 04.07.15
Justification	30.49% above
Agreement No.	21of 2015-16
Name of Contractor	Sh. Raj Kumar
Measurement Books	1803
Voucher Nos	197 dated 30.03.16 (1 st running bill)

उपरोक्त निर्माण कार्य के प्रथम चलित बिल की जांच पड़ताल के दौरान निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई :-

(क) न्याय संगत दरों से अधिक दरों पर कार्य का आबंटन करने के फलस्वरूप ₹26400/- की वित्तीय हानि:-

जांच में पाया कि उपरोक्त कार्य के आबंटन के दौरान न्यायसंगत दरों को नजर अन्दाज किया गया था एवं संविदाकार के पक्ष में न्यायसंगत दरों से अधिक दरें अनुमोदित करके संविदाकार को अनुचित लाभ प्रदान किया गया था जिससे विभाग को उपरोक्त कार्य की निम्नलिखित मद की निष्पादित मात्रा के आधार पर ₹26400/-का अधिक भुगतान होने की सम्भावना है। अतः न्यायसंगत दरों से अधिक पर कार्य का आबंटन करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्रोत से करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ । अधिक सम्भावित भुगतान का विवरण निम्नलिखित है :-

मद संख्या	मद का विवरण	अनुमानित मात्रा	न्यायसंगत दरें	भुगतान हेतु अनुमोदित दरें	अपेक्षित अधिक भुगतान
8	Providing tor steel for RCC work	8800किलोग्राम	59	62	26400

अतः उक्त मदों में संविदाकार से समझौता वार्ता (नेगोसीएसन) की जानी अपेक्षित थी ताकि कार्य का आबंटित न्यायसंगत दरों के भीतर होता एवं उपरोक्त बचत की राशि का प्रयोग अन्य कार्य हेतु किया जा सकता था।

(ख) स्टील का गलत फैक्टर लगाने के कारण संविदाकार को ₹1225/- का अधिक भुगतान:-

उपरोक्त वर्णित निर्माण कार्य में प्रोवाइडिंग टी०एम०टी० स्टील रिइन्फोरसमेंट के करवाये गये कार्य की रिकार्ड प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया गया कि 8 एम०एम० टी०एम०टी० स्टील को रनिंग मीटर से किलोग्राम में बदलते समय प्रतिमीटर 0.395 कि०ग्रा० का फैक्टर लगाकर गणना की गई थी जबकि नियमानुसार गणना 0.39 कि०ग्रा० प्रतिमीटर का फैक्टर लगाया जाना अपेक्षित था। निम्न विवरणानुसार गलत फैक्टर लगाये जाने के कारण 19.77 कि०ग्रा० अधिक ली गई मात्रा हेतु अनुबन्धित दर ₹62/- प्रति कि०ग्रा० की दर से संविदाकार को ₹1225/- का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली उचित स्त्रौत से करके कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

माप पुस्तिका	गणना जो कि गई (0.395 फैक्टर द्वारा)	सही गणना (0.39 फैक्टर द्वारा)	अधिक गणना
1872 पृष्ठ 4	421.20 X 0.395 =166.37 kg	421.20 X 0.39 =164.26 kg	2.11 kg
1872 पृष्ठ 9	826.86 X 0.395 =326.60 kg	826.86 X 0.39 =322.47 kg	4.13 kg
1872 पृष्ठ 17	2708.68 X 0.395 =1069.92 kg	2708.68 X 0.39 =1056.39 kg	13.53 kg
		कुल मात्रा	19.77 kg

24 निर्माण कार्य " C/o 3 Nos. Class Room, GSSS Deol" में ₹2.03 लाख का संविदाकार को अनुचित लाभ :-

Name of Work	C/o 3 Nos. Class Room, GSSS Deol
Estimated Cost	₹74,55,451/-
Award amount	₹90,68,214/- (21.16 % above (Civil), 376.63% above(WSSI)
Award letter No.	No.Himuda/DD/CB/W-7/2012-1572-79,Dated 17.06.13
Justification	Civil: 30.49% above, WSSI: 402.72% above

Agreement No.	2of 2013-14
Name of Contractor	Sh. Bilayati Rana
Measurement Books	1796,1717,1644
Voucher Nos	87 dated 11.03.16 (4 th running bill)

उपरोक्त निर्माण कार्य के चतुर्थ चलित बिल की जांच पड़ताल के दौरान निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई :-

(क) न्याय संगत दरों से अधिक दरों पर कार्य का आबंटन करने के फलस्वरूप ₹196403/- की वित्तीय हानि:-

जांच में पाया कि उपरोक्त कार्य के आबंटन के दौरान न्यायसंगत दरों को नजर अन्दाज किया गया था एवं संविदाकार के पक्ष में न्यायसंगत दरों से अधिक दरें अनुमोदित करके संविदाकार को अनुचित लाभ प्रदान किया गया था जिससे विभाग को उपरोक्त कार्य की निम्नलिखित मद की निष्पादित मात्रा के आधार पर ₹196403/-का अधिक भुगतान होने की सम्भावना है। अतः न्यायसंगत दरों से अधिक पर कार्य का आबंटन करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्रोत से करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ। अधिक सम्भावित भुगतान का विवरण निम्नलिखित है :-

मद संख्या	मद का विवरण	अनुमानित मात्रा	न्यायसंगत दरें	अनुमोदित दरें	अपेक्षित अधिक भुगतान
4(c)	Providing form work, column, pillar etc.	275.58m ²	223.35	260	10100
4(f)	Providing form work, Beam, Cantilivers etc.	727.47 m ²	208.25	250	30372
8	P/l mechanically mixed vibrated	6.54 m ³	10501.50	13000	16340
9	Providing tor steel for RCC work	31498.80 किलोग्राम	53.85	55	36224
17	Providing wood work in frame of doors	3.30 m ³	88606.65	90000	4598
20	P/f wire gauge shutters	50.25 m ²	2632	3000	18492
21	P/f M.S. Grills	1685.85 kg	77.35	80	4468
30	Precast	186.78m ²	998.70	1100	18921

	chequered tarrazoo tiles					
32	P/F White	49.40m ²	934.60	970	1749	
	glazed tiles					
34	P/F 60mm tick pre-painted steel sheet	342.93m ²	926.25	950	8145	
37	P/F on wall face PVC (D-plast) rain pipe	66 Rmtr	372.40	450	5122	
46	6 mm cement plaster to ceiling	959.22 m ²	69.40	80	10168	
48	15 mm cement plaster	885.36m ²	106.35	120	12085	
49	20 mm cement plaster	885.36m ²	135.20	145	8677	
50	Distemping(two coat) with oil bond	1844.58m ²	50.70	55	7932	
51	Finishing wall with water proofing cement paint	885.36m ²	46.60	50	3010	

कुल राशि 196403

अतः उक्त मदों में संविदाकार से समझौता वार्ता (नेगोसीएसन) की जानी अपेक्षित थी ताकि कार्य का आबंटित न्यायसंगत दरों के भीतर होता एवं उपरोक्त बचत की राशि का प्रयोग अन्य कार्य हेतु किया जा सकता था ।

(ख) स्टील का गलत फैक्टर लगाने के कारण संविदाकार को ₹6255/- का अधिक भुगतान :-

उपरोक्त वर्णित निर्माण कार्य में प्रोवाइडिंग टी०एम०टी० स्टील रिडनफोरसमेंट के करवाये गये कार्य की रिकार्ड प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया गया कि 8 एम०एम० टी०एम०टी० स्टील को रनिंग मीटर से किलोग्राम में बदलते समय प्रतिमीटर 0.395 कि०ग्रा० का फैक्टर लगाकर गणना की गई थी जबकि नियमानुसार गणना 0.39 कि०ग्रा० प्रतिमीटर का फैक्टर लगाया जाना अपेक्षित था। निम्न विवरणानुसार संविदाकार का गलत फैक्टर लगाये जाने के कारण 113.73 कि०ग्रा० अधिक ली गई मात्रा हेतु अनुबन्धित दर ₹55/- प्रति कि०ग्रा० की दर से ₹6255/- का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली उचित स्त्रौत से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

माप पुस्तिका	गणना जो कि गई (0.395 फैक्टर द्वारा)	सही गणना (0.39 फैक्टर द्वारा)	अधिक गणना
--------------	-------------------------------------	-------------------------------	-----------

1796 पृष्ठ 30	8262.95X 0.395 =3263.87 kg	8262.95X 0.39 =3222.55 kg	41.32kg
1796 पृष्ठ 33	1646X 0.395 =650.17 kg	1646X 0.39 =641.94 kg	8.23kg
1796 पृष्ठ 42	6289.57X 0.395 =2484.38 kg	6289.57X 0.39 =2452.93 kg	31.45kg
1644 पृष्ठ 87	6546.82X 0.395 =2585.99 kg	6546.82X 0.39 =2553.26 kg	32.73

कुल मात्रा 113.73 kg

25 निर्माण कार्यों के अंतिम बिलों में बकाया राशि का भुगतान न करने बारे :-

जांच में पाया कि मण्डल द्वारा निर्माण कार्यों को काफी समय पहले पूरा करके संबन्धित विभागों के सपुर्द कर दिया गया था लेकिन कार्यों के अंतिम बिलों में लम्बित राशि का भुगतान नहीं किया गया था। अतः अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 297 दिनांक 04.02.17 द्वारा इस प्रकार के लम्बित अंतिम बिलों की सूची प्रस्तुत करने को कहा गया था जिसके संदर्भ में पत्र संख्या Himuda/DD/AB/Audit-15-16(4/2015 to 3/2016)/2016-8682 दिनांक 08.03.17 द्वारा उपलब्ध सूचना के अनुसार विभिन्न उप-मण्डलों के लगभग 110 कार्यों के अंतिम बिल मण्डल के पास लम्बित थे जिनका विवरण परिशिष्ट "ज" में दिया गया है। अतः वर्णित बिलों का भुगतान न करने का औचित्य स्पष्ट करें।

26 निर्माण कार्यों के आबंटन बारे :-

जांच में पाया कि अंकेक्षण अवधि के चयनित माह में आबंटित लगभग सभी कार्यों हेतु केवल दो ठेकेदारों ने ही निविदाएँ भरी थी एवं उन्हीं के आधार पर कार्य का आबंटन कर दिया गया था जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि निर्माण कार्यों का आबंटन उच्च दरों पर करके सविंदाकारों को अनुचित लाभ प्रदान किया गया था। अतः अंकेक्षण को स्पष्ट किया जाए कि कार्य के आबंटन के दौरान बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ क्यों नहीं उठाया गया था।

27 मैसर्ज सूद स्टील इंडस्ट्री को ₹2.17 लाख का अनुचित/अनियमित भुगतान :-

जांच में पाया कि वाउचर संख्या 4, 5 एवं 254 माह 03/2016 के तहत परफोर्मा बिलों पर ₹216915/- का वैट के रूप में मैसर्ज सूद इंडस्ट्री को भुगतान किया गया था जबकि नियमानुसार परफोर्मा बिल पर बिक्रेता वैट की राशि चार्ज नहीं कर सकता था। अतः निम्नलिखित क्रय में ₹216915/- का भुगतान वैट के रूप में किया गया था जोकि न्यायसंगत नहीं है। अतः बिक्रेता से निम्नलिखित सामग्री की आपूर्ति का अधिकृत बिल लेना सुनिश्चित करें। क्रय का विवरण निम्न प्रकार से है:-

वाo संo	परफोर्मा बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि
4 दिनांक 01.03.16	202 दिनांक 05.11.2015	8MM 12MT @47500/-₹570000 10MM 2MT @46600/-₹93200 12MM 2MT @46000/-₹92000 16MM 8MT @46000/-₹368000	1955160

		20MM 8MT @46000/-₹368000	
		25MM 8MT @46000/-₹368000	
		VAT ₹92960	
		Other Charges ₹3000	
5 दिनांक	324 दिनांक	8MM 10MT @47500/-₹475000	743265
01.03.16	15.12.2015	10MM3MT @46600/-₹139800	
		16MM2MT @46000/-₹92000	
		VAT ₹35340	
		Other Charges ₹1125	
254 दिनांक	11 दिनांक 07.12.2015	8MM 15MT @47500/-₹712500	1863765
31.03.16		10MM3MT @46600/-₹139800	
		12MM 2MT @46000/-₹ 92000	
		16MM6MT @46000/-₹276000	
		20MM5.5MT @46000/-₹253000	
		25MM6.5MT @46000/-₹299000	
		VAT ₹88615	
		Other Charges ₹2850	

28 बिन कार्ड से 12 mm स्टील की 65 किलोग्राम मात्रा अधिक जारी करने के फलस्वरूप ₹3314/- की हानि:-

जांच में पाया कि उप मण्डल पालमपुर में निर्माण कार्य “C/o GSSS Rajer, Pancrukhi Block” के लिए इंडेंट संख्या 3475 दिनांक 18.11.2015 द्वारा 12mm की 3.80 Qtl स्टील की मांग की गई थी एवं 3.15 qtl स्टील जारी की गई दर्शाई थी। जबकि बिन कार्ड से 12mm की 3.80 Qtl मात्रा जारी की गई थी, अर्थात् बिन कार्ड से 12 mm स्टील की 0.65 किलोग्राम (3.80-3.15) मात्रा अधिक जारी कर दी गई थी। अतः 0.65 किलोग्राम स्टील की अधिक मात्रा जारी करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा ₹3314/- (0.65 X 5098.50) की वसूली उचित ख़ात से करना सुनिश्चित करें।

29 बिना निविदायें आमंत्रित किए ₹0.21 लाख की सामग्री का क्रय करने बारे:-

हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 2009 के नियम 97 के अनुसार ₹3000/- से अधिक की खरीद के लिए निविदायें आमंत्रित करना अनिवार्य है। अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के व्ययों की जांच करने पर पाया कि मण्डल द्वारा वाउचर संख्या 72 दिनांक 10.03.16 में मैसेर्ज डी०डी०दत्ता, धर्मशाला से बिल संख्या 1013 दिनांक 20.06.15, ₹13800 द्वारा रेलिंग सम्बंधित सामग्री एवं वाउचर संख्या 229 दिनांक 31.03.16 में मैसेर्ज अनिल प्रिंटेर्स, धर्मशाला से बिल संख्या 252 दिनांक 15.12.15, ₹7500/- द्वारा फ़ाउंडेशन प्लेट सम्बन्धित सामग्री का क्रय बिना निविदायें आमंत्रित किए किया गया था। यदि सामग्री का क्रय निविदायें आमंत्रित करके किया गया होता तो बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाया जा सकता था। अतः बिना निविदायें आमंत्रित किए की गई खरीद का औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर इस व्यय को नियमित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। इसके अतिरिक्त उक्त भुगतान की गई राशि की वास्तविक रसीद भी अंकेक्षण के दौरान आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जिसके कारण भुगतान की गई राशि की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा

सकी, अतः उक्त भुगतान की वास्तविक रसीद आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में नियमों के अनुसार निविदायें आमंत्रित करना भी सुनिश्चित करें।

30 वास्तविक भुगतान की रसीदें प्रस्तुत न करने बारे:-

चयनित माहों के व्ययों की जांच के दौरान पाया कि निम्न विवरणनुसार चयनित माह में आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किए गए थे लेकिन भुगतान की गई राशि की वास्तविक रसीदें अंकेक्षण के दौरान आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जिसके कारण भुगतान की गई राशि की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी, अतः इन रसीदों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं अपेक्षित रसीदें प्राप्त करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए एवं भविष्य में भुगतान की वास्तविक रसीदें यथासमय पर प्राप्त करनी सुनिश्चित की जाए।

वाउचर संख्या	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि
152 माह 03/2016	Bill No. 4548 dated 16.02.16 M/s Chamunda Machines&Hardware	Repair of Submersible pump	26979.00
153 माह 03/2016	Bill No. 42097 dated 15.01.16 M/s Manu Filling Station	Fuel	8355.00
217 माह 03/2016	Bill No. 1033 dated 17.10.15 M/s Anil printers	Printing Work	22400.00
218 माह 03/2016	Bill No. 956 dated 28.12.15 M/s Gaurav Enterprises	Rewinding of Submersible pump	15500.00

31 मण्डल के वाहन संख्या HP-39-A7281 की लोग बुक में 218 लीटर डीजल की कम मात्रा लेने बारे :-

(i) उक्त वाहन की लोग बुक की जांच में पाया कि दिनांक 31.03.15 को डीजल का अन्तिम शेष 103 लीटर था लेकिन आगामी माह 04/2015 में केवल 50 लीटर डीजल अग्रनित किया गया था जिस कारण से मण्डल को 53 लीटर

डीजल के रूप में हानि हुई थी जिसकी क्षतिपूर्ति उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें ।

(ii) जांच में पाया कि वर्ष 2015-16 के माह 10/2015 में दिनांक 31.10.15 को डीजल का अन्तिम शेष 67 लीटर था लेकिन आगामी माह 11/2015 में केवल 50 लीटर डीजल अग्रेनित किया गया था जिस कारण से मण्डल को 17 लीटर डीजल के रूप में हानि हुई थी जिसकी क्षतिपूर्ति उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें ।

(iii) लोग बुक की जांच में पाया कि उक्त वाहन में माह 05/2015 में कुल 570 लीटर एवं माह 03/2016 में 447 लीटर डीजल भरवाया गया था लेकिन औसत की गणना करते समय 05/2015 में 430 लीटर एवं 03/2016 में 439 लीटर डीजल की मात्रा ही ली गई थी अर्थात औसत में कुल 148 लीटर डीजल की मात्रा कम लेकर औसत को बढ़ाया गया था एवं 148 लीटर डीजल के दुरुपयोग की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः औसत की गणना में डीजल की कम मात्रा लेने बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा 148 लीटर डीजल की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें ।

32 धरोहर राशि का रजिस्टर तैयार न करने बारे :-

चयनित माह 03/2016 के विभिन्न निर्माण कार्य बिलों की जांच में पाया कि विभिन्न संविदाकारों के चलित/अंतिम बिलों से धरोहर राशि की वसूली की गई थी लेकिन इस राशि की प्रविष्टियाँ धरोहर राशि के रजिस्टर में नहीं की गई थी जिसके अभाव में धरोहर राशि का संविदाकार को दोहरा/अधिक भुगतान की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त जांच में पाया कि माह 03/2011 के पश्चात धरोहर राशि का रजिस्टर तैयार ही नहीं किया गया था जो कि एक गंभीर अनियमितता है। धरोहर राशि का रजिस्टर तैयार न करने से यह जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकती कि किसी निश्चित अवधि में मण्डल की कितनी देनदारियाँ धरोहर राशि के रूप में बकाया हैं। अंकेक्षण प्रतिवेदन 2014-15 के पैरा संख्या 20 में भी यह आपत्ति दर्ज की गई थी, लेकिन लम्बी अवधि व्यतीत होने के पश्चात भी इस सन्दर्भ में कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई । अतः धरोहर राशि का रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं नियमानुसार रजिस्टर तैयार करके समस्त धरोहर राशि की इसमें प्रविष्टियाँ करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ ।

33 धर्मशाला मण्डल के विभिन्न उप-मण्डलों के स्टोरों में पिछले कई वर्षों से पड़ी सामग्री का उपयोग न करना :-

विभिन्न उप-मण्डलों के भण्डार खातों की जांच करने पर पाया कि उनके पास लाखों की निर्माण सामग्री पिछले कई वर्षों से भण्डारों में बेकार पड़ी है अर्थात इस सामग्री का प्रयोग किसी भी कार्य में नहीं किया जा रहा है जो कि एक व्यर्थ निवेश है एवं इस सामग्री की देखभाल पर भी राशि खर्च करनी पड़ रही है और इस

सामग्री के दुरुपयोग की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2012-13 के पैरा संख्या 27 एवं 2014-15 के पैरा संख्या 21 में भी इस सामग्री के सही उपयोग हेतु मण्डल के अधिकारियों को सुझाव एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु कहा गया था लेकिन आज तक इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। अतः इस सामग्री को क्रय करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं आवश्यकतानुसार इस सामग्री का निर्गमन निर्माण कार्यों को करके इसकी वसूली बाजार मूल्य पर संबन्धित ठेकेदार से करना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में कार्य की आवश्यकतानुसार ही सामग्री का क्रय करना भी सुनिश्चित करें।

- 34 लघु आपति विवरणी:- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी-2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।
- 35 निष्कर्ष:- लेखों में सुधार की आवश्यकता है एवं पूर्व की अंकेक्षण प्रतिवेदनों में लम्बित पैरों पर उचित कार्यवाही करने के उपरान्त शीघ्र अतिशीघ्र समायोजित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

हस्ता/-

(सतपाल सिंह)

उप निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

फोन नं0 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या:-फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)119/88-खण्ड-18-5226-5228 दिनांक 23.

08.2017 शिमला-09,

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव (आवास) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2
- 2 सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निगम बिहार शिमला-171002
- पंजीकृत 3 अधिशासी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल धर्मशाला, जिला काँगड़ा (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/-

(सतपाल सिंह)

उप निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

फोन नं0 0177-2620881

परिशिष्ट "क" अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 1(ग) में सन्दर्भित है।

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/89 से 3/90

1 पैरा 5 (5) अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2004

1 पैरा 8 अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2005

1 पैरा 13 (2) अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2006

1 पैरा 8(1)(ए) अनिर्णीत

2 पैरा 8(1)(बी) अनिर्णीत

3 पैरा 8(1)(सी) अनिर्णीत

4 पैरा 8(2) अनिर्णीत

5 पैरा 8(3) अनिर्णीत

6 पैरा 12 अनिर्णीत

7 पैरा 15 अनिर्णीत

8 पैरा 18 अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2007

1 पैरा 11(1)(1से 4) अनिर्णीत

2 पैरा 11(2) अनिर्णीत

3 पैरा 11(3) अनिर्णीत

4 पैरा 11(4) अनिर्णीत

5 पैरा 11(5) अनिर्णीत

6 पैरा 11(6) अनिर्णीत

7	पैरा 11(7)	अनिर्णीत
8	पैरा 12(क)	अनिर्णीत
9	पैरा 12(ख)	अनिर्णीत
10	पैरा 13(क)	अनिर्णीत
11	पैरा 13(ख)	अनिर्णीत
12	पैरा 14(2)	अनिर्णीत
13	पैरा 15(1)	अनिर्णीत
14	पैरा 15(2)	अनिर्णीत
15	पैरा 15(3)	अनिर्णीत
16	पैरा 15(4)	अनिर्णीत
17	पैरा 16(1)	अनिर्णीत
18	पैरा 16(3)	अनिर्णीत
19	पैरा 17(1)	अनिर्णीत
20	पैरा 17(5)	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2008

1	पैरा 10(क)	अनिर्णीत
2	पैरा 10(ख)	अनिर्णीत
3	पैरा 10(ग)	अनिर्णीत
4	पैरा 12(ख)	अनिर्णीत
5	पैरा 12(ग)	अनिर्णीत
6	पैरा 15	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2009

1	पैरा 4(ii)	अनिर्णीत
2	पैरा 5(ii)	अनिर्णीत
3	पैरा 6(ii)	अनिर्णीत

4	पैरा 7(ii)	अनिर्णीत
5	पैरा 12	अनिर्णीत
6	पैरा 13	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010

1	पैरा-4	अनिर्णीत
2	पैरा-7	अनिर्णीत
3	पैरा-8	अनिर्णीत
4	पैरा-9	अनिर्णीत
5	पैरा-11 (क)	अनिर्णीत
6	पैरा-11 (ग)	अनिर्णीत
7	पैरा-12 (क)	अनिर्णीत
8	पैरा-13 (ग)	अनिर्णीत
9	पैरा-15	अनिर्णीत
10	पैरा-16	अनिर्णीत
11	पैरा-26	अनिर्णीत
12	पैरा-27 (क) (1)	अनिर्णीत
13	पैरा-27 (क) (2)	अनिर्णीत
14	पैरा-27 (क) (3)	अनिर्णीत
15	पैरा-27 (क) (4)	अनिर्णीत
16	पैरा-28 (ii)	अनिर्णीत
17	पैरा-29	अनिर्णीत
18	पैरा-30	अनिर्णीत
19	पैरा-32	अनिर्णीत
20	पैरा-33	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2011

1	पैरा-7	अनिर्णीत	
2	पैरा-9	अनिर्णीत	
3	पैरा-10	निर्णीत	(₹17065 की वसूली ठेकेदार से वाउचर संख्या 28 दिनांक 7.3.2017 द्वारा करके रोकड़ बही के पृष्ठ 209 में प्रविष्टि कर ली गई थी। अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया)
4	पैरा-11	अनिर्णीत	
5	पैरा-12	निर्णीत	(₹2109 की वसूली ठेकेदार से वाउचर संख्या 31 दिनांक 7.3.2017 द्वारा करके रोकड़ बही के पृष्ठ 209 में प्रविष्टि कर ली गई थी। अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया)
6	पैरा-12.1	निर्णीत	(₹14994 की वसूली ठेकेदार से वाउचर संख्या 31 दिनांक 7.3.2017 द्वारा करके रोकड़ बही के पृष्ठ 209 में प्रविष्टि कर ली गई थी। अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया)
7	पैरा-13	अनिर्णीत	
8	पैरा-15	अनिर्णीत	
9	पैरा-16	अनिर्णीत	

(ण) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2012

1	पैरा-5 (ग)	अनिर्णीत
2	पैरा-9 (क)	अनिर्णीत

3	पैरा-9 (ख)	अनिर्णीत	
4	पैरा-10 (क)	अनिर्णीत	
5	पैरा-10 (घ)	अनिर्णीत	
6	पैरा-10 (च)	अनिर्णीत	
7	पैरा-10 (छ)	अनिर्णीत	
8	पैरा-10 (ज)	अनिर्णीत	
9	पैरा-11 (क)	अनिर्णीत	
10	पैरा-12 (क)	निर्णीत	(₹2790 की वसूली ठेकेदार से वाउचर संख्या 30 दिनांक 7.3.2017 द्वारा करके रोकड़ बही के पृष्ठ 209 में प्रविष्टि कर ली गई थी। अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया)
11	पैरा-12 (ख)	निर्णीत	(₹2572 की वसूली ठेकेदार से वाउचर संख्या 30 दिनांक 7.3.2017 द्वारा करके रोकड़ बही के पृष्ठ 209 में प्रविष्टि कर ली गई थी। अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया)
12	पैरा-12 (ग)	निर्णीत	(₹11180 की वसूली ठेकेदार से वाउचर संख्या 30 दिनांक 7.3.2017 द्वारा करके रोकड़ बही के पृष्ठ 209 में प्रविष्टि कर ली गई थी। अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया)
13	पैरा-12 (घ)	निर्णीत	(₹39200 की वसूली ठेकेदार से वाउचर संख्या 30 दिनांक 7.3.2017 द्वारा करके रोकड़ बही के पृष्ठ 209 में प्रविष्टि कर ली गई थी। अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया)
14	पैरा-13 (क)	अनिर्णीत	
15	पैरा-13 (ख)	अनिर्णीत	
16	पैरा-13 (ग)	अनिर्णीत	

17	पैरा-13 (घ)	अनिर्णीत	
18	पैरा-13 (ङ)	अनिर्णीत	
19	पैरा-13 (च)	अनिर्णीत	
20	पैरा-14	अनिर्णीत	
21	पैरा-15 (क)	अनिर्णीत	
22	पैरा-15 (ख)	अनिर्णीत	
23	पैरा-15 (ग)	अनिर्णीत	
24	पैरा-15 (घ)	अनिर्णीत	
25	पैरा-16 (क)	अनिर्णीत	
26	पैरा-16 (ख)	अनिर्णीत	
27	पैरा-16 (ग)	अनिर्णीत	
28	पैरा-17 (क)	निर्णीत	(₹19659 की वसूली ठेकेदार से वाउचर संख्या 31 दिनांक 7.3.7.3.2017 द्वारा करके रोकड़ बही के पृष्ठ 209 में प्रविष्टि कर ली गई थी। अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया)
29	पैरा-17 (ख)	निर्णीत	(₹490 की वसूली ठेकेदार से वाउचर संख्या 31 दिनांक 7.3.7.3.2017 द्वारा करके रोकड़ बही के पृष्ठ 209 में प्रविष्टि कर ली गई थी। अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया)
30	पैरा-18	अनिर्णीत	
31	पैरा-19	अनिर्णीत	

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2012 से 03/2013

1	पैरा-7 (ख)	अनिर्णीत
2	पैरा-7 (ग)	अनिर्णीत
3	पैरा-7 (घ)	अनिर्णीत
4	पैरा-8 (ग)	अनिर्णीत
5	पैरा-8 (घ)	अनिर्णीत
6	पैरा-9 (क)	अनिर्णीत
7	पैरा-9 (ख)	अनिर्णीत
8	पैरा-9 (ग)	अनिर्णीत
9	पैरा-9 (घ)	अनिर्णीत
10	पैरा-9 (छ)	अनिर्णीत
11	पैरा-9 (ज)	अनिर्णीत
12	पैरा-10 (क)	अनिर्णीत
13	पैरा-10 (ख)	अनिर्णीत
14	पैरा-11 (क)	अनिर्णीत
15	पैरा-11 (ख)	अनिर्णीत
16	पैरा-12	अनिर्णीत
17	पैरा-13 (क)	अनिर्णीत
18	पैरा-13 (ख)	अनिर्णीत
19	पैरा-13 (ग)	अनिर्णीत

- 20 पैरा-13 (घ) अनिर्णीत
- 21 पैरा-14 (ख) अनिर्णीत
- 22 पैरा-14 (ग) अनिर्णीत
- 23 पैरा-14 (घ) अनिर्णीत
- 24 पैरा-14 (ङ) अनिर्णीत
- 25 पैरा-14 (च) निर्णीत (पत्र संख्या HIMUDA/DD/AB/Audit report/2012-13/8525-26 दिनांक 22.2.2017 द्वारा दिए गए सटिप्पण उत्तर एवं सावधि जमा संख्या 0670761 ₹465000 (मूल राशि) के रूप में ठेकेदार की धरोहर राशि को जब्त करके दिनांक 9.2.2017 को ₹774606 (परिपक्व राशि) मण्डल हिमुडा के खाता संख्या 20075000516 (के0सी0सी0बी0) में जमा कर दिया गया था। अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया)
- 26 पैरा-15 (क) निर्णीत (₹9601 (9435+166) की वसूली ठेकेदार से व (ख) माप पुस्तिका 1852/2015 के पृष्ठ 48 में कर ली गई थी। अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया)
- 27 पैरा-16 (क) अनिर्णीत
- 28 पैरा-16 (ख) अनिर्णीत
- 29 पैरा-17 (क) निर्णीत (₹8422 (4275+2137+2010) की वसूली व (ग) ठेकेदार से माप पुस्तिका 1867/2015 के पृष्ठ 14 में कर ली गई थी। अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया)

30	पैरा-18	अनिर्णीत	
31	पैरा-20	अनिर्णीत	
32	पैरा-22	निर्णीत	(अभिलेख की जाँच के उपरान्त का पैरे का समायोजन कर दिया गया)
33	पैरा-23	अनिर्णीत	
34	पैरा-24	आंशिक रूप से निर्णीत	(पत्र संख्या HIMUDA/DD/AB/Audit report/2012-13/8525-26 दिनांक 22.2.2017 द्वारा दिए गए सटिप्पण उत्तर की जाँच के उपरान्त पाया गया कि पैरे में वर्णित 146 लीटर डीजल के मूल्य की वसूली करना शेष है। अतः इसकी वसूली उचित स्रोत से करना सुनिश्चित करें)
35	पैरा-25	निर्णीत	(पत्र संख्या HIMUDA/DD/AB/Audit report/2012-13/8525-26 दिनांक 22.2.2017 द्वारा दिए गए सटिप्पण उत्तर की जाँच के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया)
36	पैरा-26	निर्णीत	(पत्र संख्या HIMUDA/DD/AB/Audit report/2012-13/8525-26 दिनांक 22.2.2017 द्वारा दिए गए सटिप्पण उत्तर की जाँच के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया)
37	पैरा-27	अनिर्णीत	

(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2013 से 03/2014

1	पैरा-5 (ग)	अनिर्णीत
2	पैरा-7 (ख)	अनिर्णीत
3	पैरा-8 (ख)	अनिर्णीत
4	पैरा-9 (ख)	अनिर्णीत

5	पैरा-9 (ग)	अनिर्णीत	
6	पैरा-9 (घ)	अनिर्णीत	
7	पैरा-9 (3)	अनिर्णीत	
8	पैरा-10 (क)	निर्णीत	(₹2189 की वसूली ठेकेदार से माप पुस्तिका 1745 के पृष्ठ 84 में प्रविष्टि कर ली गई थी। अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया)
9	पैरा-10 (ख)	निर्णीत	(अभिलेख की जाँच के उपरान्त का पैरे का समायोजन कर दिया गया)
10	पैरा-11 (क)	अनिर्णीत	
11	पैरा-11 (ख)	अनिर्णीत	
12	पैरा-11 (ग)	निर्णीत	(₹47343 की वसूली ठेकेदार से वाउचर संख्या 144 दिनांक 23.2.2017 द्वारा करके रोकड़ बही के पृष्ठ 203 में प्रविष्टि कर ली गई थी। अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया)
13	पैरा-11 (घ)	अनिर्णीत	
14	पैरा-11 (3)	अनिर्णीत	
15	पैरा-12 (क)	अनिर्णीत	
16	पैरा-12 (ख)	अनिर्णीत	
17	पैरा-12 (ग)	निर्णीत	(अभिलेख की जाँच के उपरान्त का पैरे का समायोजन कर दिया गया)
18	पैरा-13 (क)	निर्णीत	(पत्र संख्या HIMUDA/DD/AB/Audit report/2012-13/8525-26 दिनांक 22.2.2017 द्वारा दिए गए सटिप्पण उत्तर की जाँच के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया)
19	पैरा-13 (ख)	निर्णीत	(अभिलेख की जाँच के उपरान्त का पैरे का समायोजन कर दिया गया)
20	पैरा-14 (क)	अनिर्णीत	
21	पैरा-14 (ख)	निर्णीत	(₹48517 की वसूली ठेकेदार से माप पुस्तिका

1831 में वाउचर संख्या 66 माह 1/2017 द्वारा करके दिनांक 9.1.2017 को प्रविष्टि रोकड़ बही के पृष्ठ 179 में कर ली गई थी। अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया)

22	पैरा-15 (क)	अनिर्णीत	
23	पैरा-16 (क)	अनिर्णीत	
24	पैरा-17 (क)	अनिर्णीत	
25	पैरा-17 (ख)	अनिर्णीत	
26	पैरा-19	अनिर्णीत	
27	पैरा-20	निर्णीत	(अभिलेखों की जाँच के उपरान्त का पैरे का समायोजन कर दिया गया)
28	पैरा-21	अनिर्णीत	
29	पैरा-22	निर्णीत	(अभिलेखों की जाँच के उपरान्त का पैरे का समायोजन कर दिया गया)
30	पैरा-23	निर्णीत	(₹158093 की वसूली आपूर्तिकर्ता से वाउचर संख्या 139 माह 1/2017 द्वारा करके दिनांक 31.1.2017 को प्रविष्टि रोकड़ बही के पृष्ठ 188 में कर ली गई थी। अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया)
31	पैरा-24	निर्णीत	(अभिलेखों की जाँच के उपरान्त का पैरे का समायोजन कर दिया गया)
32	पैरा-25	निर्णीत	(अभिलेखों की जाँच के उपरान्त का पैरे का समायोजन कर दिया गया)
33	पैरा-26	अनिर्णीत	
34	पैरा-27	निर्णीत	(सेवा पुस्तिकाओं की जाँच के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया)
35	पैरा-28	निर्णीत	(पत्र संख्या HIMUDA/DD/AB/Audit report/2012-13/8525-26 दिनांक 22.2.2017 द्वारा दिए गए सटिप्पण उत्तर की जाँच के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया)
36	पैरा-29	निर्णीत	(अभिलेखों की जाँच के उपरान्त का पैरे का

समायोजन कर दिया गया)

(ड) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04 / 2014 से 03 / 2015

1	पैरा-4 (ख)	निर्णीत	(जाँच में पाया गया कि ₹500 दिनांक 12.7. 2016 एवं ₹54054 खाता संख्या 20075000516 में जमा हो गई है। अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया)
2	पैरा-5.1	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 5 में प्रारूपित कर दी गई है)
3	पैरा-5.2	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 4 में प्रारूपित कर दी गई है)
4	पैरा-5.3	अनिर्णीत	
5	पैरा-6	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 6 में प्रारूपित कर दी गई है)
6	पैरा-7	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 7 में प्रारूपित कर दी गई है)
7	पैरा-7.1	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 7 में प्रारूपित कर दी गई है)
8	पैरा-8	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 8 में प्रारूपित कर दी गई है)
9	पैरा-8.1	अनिर्णीत	
10	पैरा-8.2	अनिर्णीत	
11	पैरा-8.3	अनिर्णीत	
12	पैरा-9	अनिर्णीत	

13	पैरा-9.1	अनिर्णीत	
14	पैरा-9.2	निर्णीत	(₹725 की वसूली ठेकेदार से समायोजित वाउचर संख्या 1 माह 2/2017 द्वारा कर ली गई थी। अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया)
15	पैरा-9.3	निर्णीत	(₹4950 की वसूली ठेकेदार से समायोजित वाउचर संख्या 1 माह 2/2017 द्वारा कर ली गई थी। अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया)
16	पैरा-10 (i)(ii)(iii)(iv)	निर्णीत	(₹24930 की वसूली ठेकेदार से माप पुस्तिका 1897 के पृष्ठ 18, 19 में कर ली गई थी अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया)
17	पैरा-10.1	अनिर्णीत	
18	पैरा-11	अनिर्णीत	
19	पैरा-11.1	अनिर्णीत	
20	पैरा-12	निर्णीत	(₹1150 की वसूली ठेकेदार से माप पुस्तिका 1800 के पृष्ठ 61 में कर ली गई थी। अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया)
21	पैरा-12.1	अनिर्णीत	
22	पैरा-13	निर्णीत	(₹880 की वसूली ठेकेदार से समायोजित वाउचर संख्या 3 माह 1/2017 द्वारा कर ली गई थी। अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया)
23	पैरा-13.1	अनिर्णीत	
24	पैरा-14.1 व 14.2	निर्णीत	(₹264 (99+165) की वसूली ठेकेदार से माप पुस्तिका 1411 के पृष्ठ 46 में कर ली गई थी। अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया)
25	पैरा-15	निर्णीत	(₹3059 की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से निम्न विवरणानुसार कर ली गई है। रसीद

			संख्या 0132112 दिनांक 27.10.16 ₹744 रसीद संख्या 0132113 दिनांक 27.10.16 ₹196 रसीद संख्या 0132114 दिनांक 27.10. 16 ₹732 रसीद संख्या 0132342 दिनांक 16. 02.17 ₹1387 अतः पुष्टि के उपरान्त पैसे का समायोजन कर दिया)
26	पैरा-16	निर्णीत	(अभिलेखों की जाँच के उपरान्त का पैसे का समायोजन कर दिया गया)
27	पैरा-17 (i)	निर्णीत	(पत्र संख्या HIMUDA/DD/AB/Audit report/2012-13/8525-26 दिनांक 22.2.2017 द्वारा दिए गए सटिप्पण उत्तर की जाँच के उपरान्त पैसे का समायोजन कर दिया गया)
28	पैरा-17 (ii)	निर्णीत	(पत्र संख्या HIMUDA/DD/AB/Audit report/2012-13/8525-26 दिनांक 22.2.2017 द्वारा दिए गए सटिप्पण उत्तर की जाँच के उपरान्त पैसे का समायोजन कर दिया गया)
29	पैरा-18	निर्णीत	(अभिलेखों की जाँच के उपरान्त का पैसे का समायोजन कर दिया गया)
30	पैरा-19	निर्णीत	(अभिलेखों की जाँच के उपरान्त का पैसे का समायोजन कर दिया गया)
31	पैरा-20	निर्णीत	(पैसे की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित कर दी गई है)
32	पैरा-21	अनिर्णीत	

(ढ) (i) एस0डी0ए0 उपमण्डल धर्मशाला का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष1996-97

1	पैरा-72 (बी व सी)	अनिर्णीत
2	पैरा-73 (ख व ग)	अनिर्णीत
3	पैरा-74	अनिर्णीत
4	पैरा-75	अनिर्णीत
5	पैरा-76	अनिर्णीत
6	पैरा-77 (क व)	अनिर्णीत

	ख)	
7	पैरा-78	अनिर्णीत
8	पैरा-79	अनिर्णीत
9	पैरा-80	अनिर्णीत
10	पैरा-81	अनिर्णीत
11	पैरा-82	अनिर्णीत

(ढ) (ii) अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 4/97 से 3/98

1	पैरा-15(फ, व भ, म, त, झ ')	अनिर्णीत
2	पैरा-33 (ख, ड, च, ज, झ, ')	अनिर्णीत
3	पैरा-34 (क, घ, ट)	अनिर्णीत
4	पैरा-35 (क, ख, ग)	अनिर्णीत
5	पैरा-36(क, ख, ग, घ)	अनिर्णीत
6	पैरा-37 (क, ख, ग)	अनिर्णीत
7	पैरा-38	अनिर्णीत
8	पैरा-39	अनिर्णीत
9	पैरा-40	अनिर्णीत
10	पैरा-41 (क, ख)	अनिर्णीत
11	पैरा-42	अनिर्णीत
12	पैरा-43	अनिर्णीत
13	पैरा-44	अनिर्णीत
14	पैरा-45 (क, ख, ग)	अनिर्णीत

15	पैरा-46(क, ख)	अनिर्णीत
16	पैरा-47	अनिर्णीत
17	पैरा-48	अनिर्णीत
18	पैरा-49(क, ख, ग, घ)	अनिर्णीत
19	पैरा-50	अनिर्णीत
20	पैरा-51	अनिर्णीत
21	पैरा-52	अनिर्णीत
22	पैरा-53	अनिर्णीत
23	पैरा-54	अनिर्णीत
24	पैरा-55	अनिर्णीत

(iii) अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 4/98 से 3/99

1	पैरा-27	अनिर्णीत
2	पैरा-29	अनिर्णीत
3	पैरा-31	अनिर्णीत

(vi) अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 4/99 से 3/2001

1	पैरा-54	अनिर्णीत
2	पैरा-55	अनिर्णीत
3	पैरा-56	अनिर्णीत
4	पैरा-57	अनिर्णीत
5	पैरा-58	अनिर्णीत
6	पैरा-59	अनिर्णीत
7	पैरा-60	अनिर्णीत
8	पैरा-61	अनिर्णीत